

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

FOR REFERENCE ONLY



(खण्ड 22 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी०सी० चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा० राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 22, नौवां सत्र, 2002/1923 (शक)]

अंक 1, सोमवार, 25 फरवरी, 2002/6 फाल्गुन, 1923 (शक)

विषय	कॉलम
तेरहवीं लोक सभा के सदस्यों की अद्यतन वर्णानुक्रम सूची	1-22
लोक सभा के पदाधिकारी.	23-24
मंत्रिपरिषद	25-28
राष्ट्रगान	29
राष्ट्रपति का अभिभाषण. .	29-47
निधन संबंधी उल्लेख .	48-52
सभा पटल पर रखे गए पत्र	53-54

लोक सभा वाद-विवाद

तेरहवीं लोक सभा के सदस्यों की अद्यतन वर्णानुक्रम सूची

अ

अजय कुमार, श्री एस. (ओट्टापलम)
अडसुल, श्री आनन्दराव विठोबा (बुलढाना)
अनंत कुमार, श्री (बंगलौर दक्षिण)
अब्दुल्ला, श्री उमर (श्रीनगर)
अब्दुल्लाकुट्टी, श्री ए.पी. (कन्नानौर)
अमीर आलम, श्री (कैराना)
अम्बरीश, श्री (माण्डया)
अम्बेडकर, श्री प्रकाश यशवंत (अकोला)
अय्यर, श्री मणि शंकर (मयिलादुतुरई)
अर्गल, श्री अशोक (मुरैना)
अलवी, श्री राशिद (अमरोहा)
अहमद, श्री ई. (मंजेरी)
अहमद, श्री दाऊद (शाहाबाद)

आ

आंग्ले, श्री रमाकांत (मारमागाओ)
आचार्य, श्री प्रसन्न (सम्बलपुर)
आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)
आजाद, श्री कीर्ति झा (दरभंगा)
आठवले, श्री रामदास (पंढरपुर)
आडवाणी, श्री लाल कृष्ण (गांधी नगर)
आदि शंकर, श्री (कुड्डालोर)
आदित्यनाथ, योगी (गोरखपुर)
आर्य, डा. (श्रीमती) अनिता (करोलबाग)

आल्वा, श्रीमती मार्ग्रेट (कनारा)

इ

इन्दौरा, डा. सुशील कुमार (सिरसा)

ई

ईडन, श्री जार्ज (एर्णाकुलम)

उ

उमा भारती, कुमारी (भोपाल)

उराम, श्री जुएल (सुन्दरगढ़)

उस्मानी, श्री ए.एफ. गुलाम (बारपेटा)

ए

ए. नरेंद्र, श्री (मेडक)

एटकिन्सन, श्री डेन्जिल बी. (नामनिर्दिष्ट)

एम. मास्टर मथान, श्री (नीलगिरि)

एलानगोवन, श्री पी.डी (धर्मपुरी)

ओ

ओला, श्री शीश राम (झुंझुनूं)

ओवेसी, श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन (हैदराबाद)

क

कटारा, श्री बाबूभाई के. (दोहद)

कटारिया, श्री रतन लाल (अम्बाला)

कटियार, श्री विनय (फैजाबाद)

कथीरिया, डा. वल्लभभाई (राजकोट)

कन्नप्पन, श्री एम. (तिरूचेन्गोड़े)

कमलनाथ, श्री (छिन्दवाड़ा)

करुणाकरन, श्री के. (मुकुन्दपुरम)

कलिअप्पन, श्री के.के. (गोबिचेट्टिपालयम)

कश्यप, श्री बली राम (बस्तर)
 कस्वां, श्री राम सिंह (चुरू)
 कानूनगो, श्री त्रिलोचन (जगतसिंहपुर)
 काम्बले, श्री शिवाजी विठ्ठलराव (उस्मानाबाद)
 किन्डिया, श्री पी.आर. (शिलांग)
 कुप्पुसामी, श्री सी. (मद्रास उत्तर)
 कुमार, श्री अरूण (जहानाबाद)
 कुमार, श्री वी. धनंजय (मंगलौर)
 कुमारासामी, श्री पी. (पलानी)
 कुरुप, श्री सुरेश (कोट्टायम)
 कुलस्ते, श्री फगन सिंह (मण्डला)
 कुसमरिया, डा. रामकृष्ण (दमोह)
 कृपलानी, श्री श्रीचन्द्र (चित्तौड़गढ़)
 कृष्णदास, श्री एन.एन. (पालघाट)
 कृष्णन, डा.सी. (पोल्लाची)
 कृष्णमराजू, श्री (नरसापुर)
 कृष्णमूर्ति, श्री के.बलराम (ओंगोले)
 कृष्णमूर्ति, श्री के.ई. (कुरनूल)
 कृष्णास्वामी, श्री ए. (श्रीपेरुमबुदुर)
 कौर, श्रीमती प्रेनीत (पटियाला)
 कौशल, श्री रघुवीर सिंह (कोटा)

ख

खंडेलवाल, श्री विजय कुमार (बेतूल)
 खण्डूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र (गढ़वाल)
 खन्ना, श्री विनोद (गुरदासपुर)
 खां, श्री अबुल हसनत (जंगीपुर)

खां, श्री मनसूर अली (सहारनपुर)
 खां, श्री सुनील (दुर्गापुर)
 खांदोकर, श्री अकबर अली (सेरमपुर)
 खान, श्री हसन (लद्दाख),
 खाबरी, श्री बृजलाल (जालौन)
 खुराना, श्री मदन लाल (दिल्ली सदर)
 खूटे, श्री पी.आर. (सारंगढ़)
 खैरे, श्री चन्द्रकांत (औरंगाबाद, महाराष्ट्र)

ग

गंगवार, श्री सन्तोष कुमार (बरेली)
 गढ़वी, श्री पी.एस. (कच्छ)
 गमांग, श्रीमती हेमा (कोरापुट)
 गवली, कुमारी भावना पुंडलिकराव (वाशिम)
 गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल (अहमदनगर)
 गांधी, श्रीमती मेनका (पीलीभीत)
 गांधी, श्रीमती सोनिया (अमेठी)
 गाड्डे, श्री राम मोहन (विजयवाड़ा)
 गामलिन, श्री जारबोम (अरूणाचल पश्चिम)
 गालिब, श्री जी.एस. (लुधियाना)
 गावित, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दुरबार)
 गावीत, श्री रामदास रूपला (धुले)
 गिलुवा, श्री लक्ष्मण (सिंहभूम)
 गीते, श्री अनंत गंगाराम (रत्नागिरी)
 गुढे, श्री अनंत (अमरावती)
 गुप्त, प्रो. चमन लाल (उधमपुर)
 गेहलोत, श्री थावरचन्द्र (शाजापुर)

गोयल, श्री विजय (चांदनी चौक)
 गोविन्दन, श्री टी. (कासरगौड़)
 गोहेन, श्री राजेन (नौगांव)
 गौड़ा, श्री जी, पुट्टास्वामी (हसन)
 गौतम, श्रीमती शीला (अलीगढ़)

घ

घाटोवार, श्री पवन सिंह (डिब्रुगढ़)

च

चक्रवर्ती, श्री अजय (बसीरहाट)
 चक्रवर्ती, श्री स्वदेश (हावड़ा)
 चक्रवर्ती, श्रीमती विजया (गुवाहाटी)
 चटर्जी, श्री सोमनाथ (बोलपुर)
 चतुर्वेदी, श्री सत्यव्रत (खजुराहो)
 चन्देल, श्री अशोक कुमार सिंह (हमीरपुर, उ.प्र.)
 चन्देल, श्री सुरेश (हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश)
 चन्द्रशेखर, श्री (बलिया, उत्तर प्रदेश)
 चिन्नासामी, श्री एम. (करूर)
 चीखलीया, श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई (जूनागढ़)
 चेन्नितला, श्री रमेश (मवेलीकारा)
 चौटाला, श्री अजय सिंह (धिवानी)
 चौधरी, कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम (बाड़मेर)
 चौधरी, श्री अधीर (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल)
 चौधरी, श्री ए.बी.ए.गनी खां (मालदा)
 चौधरी, श्री निखिल कुमार (कटिहार)
 चौधरी, श्री पद्मसेन (बहराइच)
 चौधरी, श्री मणिभाई रामजीभाई (बलसाड़)

चौधरी, श्री राम टहल (रांची)
 चौधरी, श्री राम रघुनाथ (नागौर)
 चौधरी, श्री विकास (आसनसोल)
 चौधरी, श्री हरिभाई (बनासकांठ)
 चौधरी, श्रीमती रीना (मोहनलालगंज)
 चौधरी, श्रीमती रेणुका (खम्माम)
 चौधरी, श्रीमती सन्तोष (फिल्लौर)
 चौबे, श्री लाल मुनी (बक्सर)
 चौहान, श्री नंदकुमार सिंह (खंडवा)
 चौहान, श्री निहाल चन्द (श्रीगंगानगर)
 चौहान, श्री बालकृष्ण (घोसी)
 चौहान, श्री शिवराजसिंह (विदिशा)
 चौहान, श्री श्रीराम (बस्ती)

ज

जगतरक्षकन, डा.एस. (अर्कोनम)
 जगन्नाथ, डा. मन्दा (नगर कुरनूल)
 जगमोहन, श्री (नई दिल्ली)
 जटिया, डा. सत्यनारायण (उज्जैन)
 जय प्रकाश, श्री (हरदोई)
 जयशीलन, डा.ए.डी.के. (तिरूचेंदूर)
 जहेदी, श्री महबूब (कटवा)
 जाधव, श्री सुरेश रामराव (परभनी)
 जाफर शरीफ, श्री सी.के. (बंगलौर उत्तर)
 जायसवाल, डा. मदन प्रसाद (बेतिया)
 जायसवाल, श्री जवाहर लाल (चन्दौली)
 जायसवाल, श्री शंकर प्रसाद (वाराणसी)
 जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश (कानपुर)

जार्ज, श्री के. फ्रांसिस (इदुक्की)
 जालप्पा, श्री आर.एल. (चिकबलपुर)
 जावमा, श्री वनलाल (मिजोरम)
 जावीया, श्री जी.जे. (पोरबंदर)
 जीगाजीनागी, श्री रमेश सी. (चिक्कोडी)
 जैन, श्री पुष्प (पाली)
 जोशी, डा. मुरली मनोहर (इलाहाबाद)
 जोशी, श्री मनोहर (मुम्बई उत्तर मध्य)
 जोस, श्री ए.सी. (त्रिचूर)

झ

झा, श्री रघुनाथ (गोपालगंज)

ञ

ञक्कर, श्रीमती जयाबहन बी. (वडोदरा)

ठाकुर, डा.सी.पी. (पटना)

ठाकुर, श्री चुन्नी लाल भाई (भंडारा)

ठाकुर, श्री रामशेठ (कुलाबा)

ड

डिसूजा, डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स (नामनिर्दिष्ट)

डूडी, श्री रामेश्वर (बीकानेर)

डोम, डा. राम चन्द्र (बीरभूम)

ढ

ढिकले, श्री उत्तमराव (नासिक)

त

तिरुनावुकरसर, श्री सु (पुडुक्कोट्टई)

तिवारी, श्री नारायण दत्त (नैनीताल)

तिवारी, श्री लाल बिहारी (पूर्वी दिल्ली)

तिवारी, श्री सुन्दर लाल (रीवा)

तुड़, श्री तरलोचन सिंह (तरनतारन)

तोपदार, श्री तरित बरण (बैरकपुर)

तोमर, डा. रमेश चंद (हापुड़)

त्रिपाठी, श्री प्रकाश मणि (देवरिया)

त्रिपाठी, श्री ब्रजकिशोर (पुरी)

त्रिपाठी, श्री रामनरेश (सिवनी)

थ

थामस, श्री पी.सी. (मुवत्तुपुजा)

द

दग्गुबाटि, श्री राम नायडू (बापतला)

दत्तात्रेय, श्री बंडारू (सिकन्दराबाद)

दलित इजिलमलाई, श्री (तिरूचिरापल्ली)

दास, श्री नेपाल चन्द्र (करीमगंज)

दासमुंशी, श्री प्रियरंजन (रायगंज)

दाहाल, श्री भीम (सिक्किम)

दिनकरन, श्री टी.टी.वी. (पेरियाकुलम)

दिलेर, श्री किशन लाल (हाथरस)

दिवाथे, श्री नामदेव हरबाजी (चिमूर)

दीपक कुमार, श्री (उन्नाव)

दुराई, श्री एम. (वन्डावासी)

दूलो, श्री शमशेर सिंह (रोपड़)

देलकर, श्री मोहन एस. (दादरा और नगर हवेली)

देव, श्री बिक्रम केशरी (कालाहांडी)

देव, श्री संतोष मोहन (सिल्चर)

देवी, श्रीमती कैलाशो (कुरुक्षेत्र)

न

नरह, श्रीमती रानी (लखीमपुर)
 नाईक, श्री राम (मुम्बई उत्तर)
 नाईक, श्री श्रीपाद येसो (पणजी)
 नागमणि, श्री (चतरा)
 नायक, श्री अनन्त (क्योंझर)
 नायक, श्री अली मोहम्मद (अनंतनाग)
 नायक, श्री ए.वेंकटेश (रायचूर)
 निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद (मुजफ्फरपुर)
 नीतीश कुमार, श्री (बाढ़)

प

पटनायक, श्रीमती कुमुदिनी (आस्का)
 पटवा, श्री सुन्दर लाल (होशंगाबाद)
 पटेल, डा. अशोक (फतेहपुर)
 पटेल, श्री आत्माराम भाई (मेहसाना)
 पटेल, श्री चन्द्रेश (जामनगर)
 पटेल, श्री ताराचंद शिवाजी (खरगौन)
 पटेल, श्री दह्याभाई वल्लभभाई (दमन और दीव)
 पटेल, श्री दिन्शा (कैरा)
 पटेल, श्री दीपक (आनंद)
 पटेल, श्री धर्म राज सिंह (फूलपुर)
 पटेल, श्री प्रहलाद सिंह (बालाघाट)
 पटेल, श्री मानसिंह (मांडवी)
 पण्डा, श्री प्रबोध (मिदनापुर)
 पद्मानाभम, श्री मुद्रागाड़ा (काकीनाड़ा)
 परस्ते, श्री दलपत सिंह (शहडोल)

परांजपे, श्री प्रकाश (ठाणे)
 पलानीमनिक्कम, श्री एस.एस. (तंजावूर)
 पवार, श्री शरद (बारामती)
 पवैया, श्री जयभान सिंह (ग्वालियर)
 पांजा, डा.रंजीत कुमार (बारासाट)
 पांजा, श्री अजित कुमार (कलकत्ता उत्तरपूर्व)
 पांडियन, श्री पी.एच. (तिरुनेलवेली)
 पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार (भुवनेश्वर)
 पाटिल, श्री अमरसिंह वसंतराव (बेलगाम)
 पाटिल, श्री आर.एस. (बागलकोट)
 पाटिल (यत्नाल), श्री बसनगौडा रामनगौडा (बीजापुर)
 पाटील, श्री अन्नासाहेब एम.के. (इरन्दोल)
 पाटील, श्री उत्तमराव (यतमाल)
 पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड (बीड)
 पाटील, श्री दानवे रावसाहेब (जालना)
 पाटील, श्री प्रकाश वी. (सांगली)
 पाटील, श्री बालासाहिब विखे (कोपरगांव)
 पाटील, श्री भास्करराव (नांदेड़)
 पाटील, श्री लक्ष्मणराव (सतारा)
 पाटील, श्री शिवराज वि. (लाटूर)
 पाटील, श्री श्रीनिवास (कराड़)
 पाठक, श्री हरिन (अहमदाबाद)
 पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण (मंदसौर)
 पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार (गिरिडीह)
 पायलट, श्रीमती रमा (दौसा)
 पार्थसारथी, श्री बी.के. (हिन्दुपुर)

पाल, श्री रूपचन्द्र (हुगली)
 पासवान, डा. संजय (नवादा)
 पासवान, श्री राम विलास (हाजीपुर)
 पासवान, श्री रामचन्द्र (रोसेड़ा)
 पासवान, श्री सुकदेव (अररिया)
 पासी, श्री राजनारायण (बांसगांव)
 पासी, श्री सुरेश (चायल)
 पुगलिया, श्री नरेश (चन्द्रपुर)
 पोटाई, श्री सोहन (कांकेर)
 पोन्नुस्वामी, श्री ई. (चिदंबरम)
 प्रधान, डा. देवेन्द्र (देवगढ़)
 प्रधान, श्री अशोक (खुर्जा)
 प्रभु, श्री सुरेश (राजापुर)
 प्रमाणिक, प्रो. आर. आर. (मथुरापुर)
 प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास (चामराजनगर)
 प्रेमाजम, प्रो. ए.के. (वडागरा)

फ

फर्नान्डीज, श्री जार्ज (नालन्दा)
 फारूक, श्री एम.ओ.एच. (पांडिचेरी)

ब

बंगरप्पा, श्री एस. (शिमोगा)
 बंद्योपाध्याय, श्री सुदीप (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)
 बंसल, श्री पवन कुमार (चंडीगढ़)
 बखला, श्री जोवाकिम (अलीपुरद्वारस)
 बघेल, प्रो. एस.पी. सिंह (जलेसर)
 'बचदा', श्री बची सिंह रावत (अल्मोड़ा)

बदनोर, श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा)
 बनर्जी, कुमारी ममता (कलकत्ता दक्षिण)
 बनातवाला, श्री जी.एम. (पोन्नानी)
 बब्बन राजभर, श्री (सलेमपुर)
 बब्बर, श्री राज (आगरा)
 बरवाला, श्री सुरेन्द्र सिंह (हिसार)
 बराड़, श्री जे.एस. (फरीदकोट)
 बर्मन, श्री रनेन (बलूरघाट)
 बलिराम, डा. (लालगंज)
 बसवनागौड़, श्री कोलुर(बेल्लारी)
 बसवराज, श्री जी.एस. (तुमकुर)
 बसु, श्री अनिल (आरामबाग)
 बालयोगी, श्री जी.एम.सी. (अमालापुरम)
 बालू, श्री टी.आर. (मद्रास दक्षिण)
 बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह (जोधपुर)
 बिश्वास, श्री आनन्द मोहन (नवद्वीप)
 बुन्देला, श्री सुजानसिंह (झांसी)
 बेगम नूर बानो (रामपुर)
 बेहरा, श्री पद्मनाव (फूलबनी)
 बैदा, श्री रामचन्द्र (फरीदाबाद)
 बैठ, श्री महेन्द्र (बगहा)
 बैनर्जी, श्रीमती जयश्री (जबलपुर)
 बैस, श्री रमेश (रायपुर)
 बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर (कोकराझार)
 बोचा, श्री सत्यनारायण (बोम्बिली)
 बोस, श्रीमती कृष्णा (जादवपुर)

बौरी, श्रीमती संध्या (विष्णुपुर)
 ब्रह्मनैया, श्री ए. (मछलीपटनम)

भ

भगत, प्रो. दुखा (लोहरदगा)
 भगोरा, श्री ताराचन्द (बांसवाड़ा)
 भडाना, श्री अवतार सिंह (मेरठ)
 भाटिया, श्री आर.एल. (अमृतसर)
 भार्गव, श्री गिरधारी लाल (जयपुर)
 भूरिया, श्री कांतिलाल (झाबुआ)
 भौरा, श्री भान सिंह (भटिंडा)

म

मंजय लाल, श्री (समस्तीपुर)
 मंडल, श्री ब्रह्मानन्द (मुंगेर)
 मंडल, श्री सनत कुमार (जयनगर)
 मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा (कोल्हापुर)
 मकवाना, श्री सवशीभाई (सुरेन्द्रनगर)
 मलयसामी, श्री के. (रामनाथपुरम)
 मलिक, श्री जगन्नाथ (जाजपुर)
 मल्याला, श्री राजैया (सिद्दीपेट)
 मल्लिकार्जुनप्पा, श्री जी. (दावणगेरे)
 मल्होत्रा, डा. विजय कुमार (दक्षिण दिल्ली)
 महंत, डा. चरणदास (जांजगीर)
 महताब, श्री भर्तृहरि (कटक)
 महतो, श्री बीर सिंह (पुरुलिया)
 महतो, श्रीमती आभा (जमशेदपुर)
 महरिया, श्री सुभाष (सीकर)

महाजन, श्री वाई.जी. (जलगांव)
 महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इन्दौर)
 महाले, श्री हरीभाऊ शंकर (मालेगांव)
 मांझी, श्री रामजी (गया)
 माझी, श्री परसुराम (नवरंगपुर)
 मान, श्री जोरा सिंह (फिरोजपुर)
 मान, श्री सिमरनजीत सिंह (संगरूर)
 माने, श्री शिवाजी (हिंगोली)
 माने, श्रीमती निवेदिता (इचलकरांजी)
 मायावती, कुमारी (अकबरपुर)
 मारन, श्री मुरासोली (मद्रास मध्य)
 मिश्र, श्री राम नगीना (पडरौना)
 मिश्र, श्री श्याम बिहारी (बिल्हौर)
 मिस्त्री, श्री मधुसूदन (साबरकांठा)
 मीणा, श्री भेरूलाल (सलूमबर)
 मीणा, श्रीमती जस कौर (सवाई माधोपुर)
 मुखर्जी, श्री एस.बी. (कृष्णनगर)
 मुण्डा, श्री कड़िया (खूंटी)
 मुत्तेमवार, श्री विलास (नागपुर)
 मुनिलाल, श्री (सासाराम)
 मुनियप्पा, श्री के.एच. (कोलार)
 मुरलीधरन, श्री के. (कालीकट)
 मुरुगेसन, श्री एस. (तेनकासी)
 मुर्मू, श्री रूपचन्द (झाड़ग्राम)
 मुर्मू, श्री सालखन (मयूरभंज)
 मूर्ति, श्री ए.के. (चेंगलपट्टूर)
 मूर्ति, श्री एम.वी.वी.एस. (विशाखापत्तनम)

मेघवाल, श्री कैलाश (टोंक)
 मेहता, श्रीमती जयवंती (मुम्बई दक्षिण)
 मोल्लाह, श्री हन्नान (उलूबेरिया)
 मोहन, श्री पी. (मदुरै)
 मोहले, श्री पुनू लाल (बिलासपुर)
 मोहिते, श्री सुबोध (रामटेक)
 मोहोल, श्री अशोक ना. (खेड़)

य

यादव, श्री अखिलेश (कन्नौज)
 यादव, डा. (श्रीमती) सुधा (महेन्द्रगढ़)
 यादव, डा. जसवंतसिंह (अलवर)
 यादव, श्री जगदम्बी प्रसाद (गोड्डा)
 यादव, श्री दिनेश चन्द्र (सहरसा)
 यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद (झंझारपुर)
 यादव, श्री देवेन्द्र सिंह (एटा)
 यादव, श्री बलराम सिंह (मैनपुरी)
 यादव, श्री भालचन्द्र (खलीलाबाद)
 यादव, श्री मुलायम सिंह (सम्भल)
 यादव, श्री रमाकान्त (आजमगढ़)
 यादव, श्री शरद (मधेपुरा)
 यादव, श्री हुक्मदेव नारायण (मधुबनी)
 येरननायडू, श्री के. (श्रीकाकुलम)

र

रंगपी, डा. जयन्त (स्वशासी जिला असम)
 रमण, डा. (राजनंदगांव)
 रमैया, डा. बी.बी. (एलूरू)

रवि, श्री शीशराम सिंह (बिजनौर)
 राजवंशी, श्री माधव (मंगलदोई)
 राजा, श्री ए. (पैरम्बलूर)
 राजूखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह (धार)
 राजे, श्रीमती वसुन्धरा (झालावाड़)
 राजेन्द्रन, श्री पी. (क्विलोन)
 राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, श्री (पूर्णिया)
 राठवा, श्री रामसिंह (छेटा उदयपुर)
 राणा, श्री काशीराम (सूरत)
 राणा, श्री राजू (भावनगर)
 राधाकृष्णन, श्री वरकला (चिरायिकिल)
 राधाकृष्णन, श्री सी.पी. (कोयम्बटूर)
 राधाकृष्णन, श्री पोन (नागरकोइल)
 राम सजीवन, श्री (बांदा)
 राम, श्री ब्रजमोहन (पलामू)
 रामचन्द्रन, श्री गिनगी एन. (टिंडिवनाम)
 रामशकल, श्री (राबर्टसगंज)
 रामुलू, श्री एच.जी. (कोप्पल)
 रामैया, श्री गुनीपाटी (राजमपेट)
 राय, श्री नवल किशोर (सीतामढ़ी)
 राय, श्री विष्णु पद (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)
 राय, श्री सुबोध (भागलपुर)
 राय प्रधान, श्री अमर (कूचबिहार)
 राव, श्री एस. बी.पी.बी.के. सत्यनारायण (राजामुन्दरी)
 राव, श्री गंता श्रीनिवास (अनकापल्ली)
 राव, श्री डी.वी.जी. शंकर (पार्वतीपुरम)

राव, श्री वाई.वी. (गुंटूर)
 राव, श्री सीएच. विद्यासागर (करीमनगर)
 राव, श्रीमती प्रभा (वर्धा)
 रावत, प्रो. रासासिंह (अजमेर)
 रावत, श्री प्रदीप (पुणे)
 रावत, श्री रामसागर (बाराबंकी)
 रावले, श्री मोहन (मुम्बई दक्षिण मध्य)
 राष्ट्रपाल, श्री प्रवीण (पाटन)
 रिजवान जहीर, श्री (बलरामपुर)
 रियान, श्री बाजू बन (त्रिपुरा पूर्व)
 रूडी, श्री राजीव प्रताप (छपरा)
 रेड्डी, श्री ए.पी. जितेन्द्र (महबूबनगर)
 रेड्डी, श्री एन.जनार्दन (नरसारावपेट)
 रेड्डी, श्री एन.आर.के. (चित्तूर)
 रेड्डी, श्री एस.जयपाल (मिरयालगुडा)
 रेड्डी, श्री गुथा सुकेन्द्र (नालगोंडा)
 रेड्डी, श्री चाडा सुरेश (हनमकोण्डा)
 रेड्डी, श्री जी.गंगा (निजामाबाद)
 रेड्डी, श्री बी.वी.एन. (नांदयाल)
 रेड्डी, श्री वाई.एस. विवेकानन्द (कुडप्पा)
 रेनु कुमारी, श्रीमती (खगड़िया)

ल

लाहिडी, श्री समीक (डायमंड हार्बर)
 लेपचा, श्री एस.पी. (दार्जिलिंग)

व

वंग्चा, श्री राजकुमार (अरूणाचल पूर्व)

वनगा, श्री चिंतामन (दहानू)
 वर्मा, डा. साहिब सिंह (बाहरी दिल्ली)
 वर्मा, प्रो. रीता (धनबाद)
 वर्मा, श्री बेनी प्रसाद (कैसरगंज)
 वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास (धन्धुका)
 वर्मा, श्री रवि प्रकाश (खीरी)
 वर्मा, श्री राममूर्ती सिंह (शाहजहांपुर)
 वर्मा, श्री राजेश (सीतापुर)
 वसावा, श्री मनसुखभाई डी. (भरूच)
 वाघेला, श्री शंकर सिंह (कपड़वंज)
 वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (लखनऊ)
 वाडियार, श्री एस.डी.एन.आर. (मैसूर)
 विजयन, श्री ए.के.एस. (नागापट्टिनम)
 विजया कुमारी, श्रीमती डी.एम.(भद्राचलम)
 वीरप्पा, श्री रामचन्द्र (बीदर)
 वीरेन्द्र कुमार, श्री (सागर)
 वुक्कला, डा. राजेश्वरम्मा (नेल्लौर)
 वेंकटस्वामी, डा.एन.(तिरूपति)
 वेंकटस्वरलु, प्रो.उम्मा रेड्डी (तेनाली)
 वेंकटस्वरलु, श्री बी. (वारंगल)
 वेणुगोपाल, डा. एस. (आदिलाबाद)
 वेणुगोपाल, श्री डी. (तिरूपतूर)
 वेन्त्रिसेलवन, श्री वी. (कृष्णागिरि)
 वैको, श्री (शिवकाशी)
 व्यास, डा. गिरिजा (उदयपुर)

श

शर्मा, कैप्टन सतीश (रायबरेली)
 शशि कुमार, श्री (चित्रदुर्ग)
 शहाबुद्दीन, मोहम्मद (सिवान)
 शांडिल्य, कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम (शिमला)
 शाक्य, श्री रघुराज सिंह (इटावा)
 शान्ता कुमार, श्री (कांगड़ा)
 शाह, श्री मानवेन्द्र (टिहरी गढ़वाल)
 शाहीन, श्री अब्दुल रशीद (बारामूला)
 शिंदे, श्री सुशील कुमार (शोलापुर)
 शिवकुमार, श्री वी.एस. (तिरुअनन्तपुरम)
 शुक्ल, श्री श्यामाचरण (महासमुन्द)
 शेरवानी, श्री सलीम आई.(बदायूं)
 श्रीकांतप्पा, श्री डी.सी. (चिकमंगलूर)
 श्रीनिवासन, श्री सी. (डिंडीगुल)
 श्रीनिवासुलु, श्री कालवा (अनन्तपुर)

ष

षण्मुगम, श्री एन.टी. (वेल्लौर)

स

संकेश्वर, श्री विजय (धारवाड़ उत्तर)
 संखवार, श्री प्यारे लाल (घाटमपुर)
 संगमा, श्री पूर्णो ए. (तुरा)
 संघाणी, श्री दिलीप (अमरेली)
 सईद, श्री पी.एम. (लक्षद्वीप)
 सईदुज्जमा, श्री (मुजफ्फरनगर)
 सनदी, प्रो. आई.जी. (धारवाड़ दक्षिण)
 सर, श्री निखिलानन्द (बर्दवान)

सरकार, डा. बिक्रम (पंसकुरा)
 सरडगी, श्री इकबाल अहमद (गुलबर्गा)
 सरोज, श्री तूफानी (सैदपुर)
 सरोज, श्रीमती सुशीला (मिसरिख)
 सरोजा, डा. वी. (रासीपुरम)
 सांगतम, श्री के.ए. (नागालैंड)
 सांगवान, श्री किशन सिंह (सोनीपत)
 साथी, श्री हरपाल सिंह (हरिद्वार)
 सामन्तराय, श्री प्रभात (केन्द्रपाडा)
 साय, श्री विष्णुदेव (रायगढ़)
 साहू, श्री अनादि (बरहामपुर, उड़ीसा)
 साहू, श्री ताराचन्द्र (दुर्ग)
 सिंह, कुंवर अखिलेश (महाराजगंज, उ.प्र.)
 सिंह, कुंवर सर्वराज (आंवला)
 सिंह, कैप्टन (सेवानिवृत्त) इन्द्र (रोहतक)
 सिंह, चौधरी तेजवीर (मथुरा)
 सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली)
 सिंह, डा. रामलखन (भिण्ड)
 सिंह, श्री अजित (बागपत)
 सिंह, श्री खेलसाय (सरगुजा)
 सिंह, श्री चन्द्र प्रताप (सिधी)
 श्री चन्द्र भूषण (फरुखाबाद)
 सिंह, श्री चन्द्र विजय (मुरादाबाद)
 सिंह, श्री चन्द्रनाथ (मछलीशहर)
 सिंह, श्री चरनजीत (होशियारपुर)
 सिंह, श्री छत्रपाल (बुलन्दशहर)

सिंह, श्री जयभद्र (सुल्तानपुर)
 सिंह, श्री तिलकधारी प्रसाद (कोडरमा)
 सिंह, श्री टीएच. चाओबा (आंतरिक मणिपुर)
 सिंह, श्री दिग्विजय (बांका)
 सिंह, श्री प्रभुनाथ (महाराजगंज, बिहार)
 सिंह, श्री बलबीर (जालन्धर)
 सिंह, श्री बहादुर (बयाना)
 सिंह, श्री बृज भूषण शरण (गोंडा)
 सिंह, श्री महेश्वर (मंडी)
 सिंह, श्री राजो (बेगुसराय)
 सिंह, श्री राधामोहन (मोतिहारी)
 सिंह, श्री राम प्रसाद (आरा)
 सिंह, श्री रामजीवन (बलिया, बिहार)
 सिंह, श्री रामपाल (डुमरियागंज)
 सिंह, श्री रामानन्द (सतना)
 सिंह, श्री लक्ष्मण (राजगढ़)
 सिंह, श्री विश्वेन्द्र (भरतपुर)
 सिंह, श्रीमती कान्ति (बिक्रमगंज)
 सिंह, श्रीमती राजकुमारी रत्ना (प्रतापगढ़)
 सिंह, श्रीमती श्यामा (औरंगाबाद, बिहार)
 सिंह, सरदार बूटा (जालौर)
 सिंह देव, श्री के.पी.(ढेंकानाल)
 सिंहदेव, श्रीमती संगीता कुमारी (बोलनगीर)
 सिकंदर, श्री तपन (दमदम)
 सिन्हा, श्री मनोज (गाजीपुर)
 सिन्हा, श्री यशवन्त (हजारीबाग)

सी. सुगुणा कुमारी, डा. (श्रीमती) (पेदापल्ली)
 सुदर्शन नाच्चीयपन, श्री ई.एम. (शिवगंगा)
 सुधीरन, श्री वी.एम. (अलेप्पी)
 सुनील दत्त, श्री (मुम्बई उत्तर पश्चिम)
 सुब्बा, श्री एम.के. (तेजपुर)
 सुमन, श्री रामजीलाल (फिरोजाबाद)
 सुरेश, श्री कोडीकुनील (अडूर)
 सेठ, श्री लक्ष्मण (तामलुक)
 सेठ, श्री अर्जुन (भद्रक)
 सेन, श्रीमती मिनाती (जलपाईगुड़ी)
 सेनगुप्ता, डा. नीतिश (कोन्टाई)
 सेल्वागनपति, श्री टी.एम.(सेलम)
 सोमैया, श्री किरीट (मुम्बई उत्तर पूर्व)
 सोराके, श्री विनय कुमार (उदुपी)
 सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह (गोधरा)
 स्वाइं, श्री खारबेल (बालासोर)
 स्वामी, श्री ईश्वर दयाल (करनाल)
 स्वामी, श्री चिन्मयानन्द (जौनपुर)
 ह
 हंसदा, श्री थामस (राजमहल)
 हक, मोहम्मद अनवारूल (शिवहर)
 हमीद, श्री अब्दुल (धूबरी)
 हसन, श्री मोइनुल (मुर्शिदाबाद)
 हान्दिक, श्री विजय (जोरहाट)
 हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज (किशनगंज)
 हौकिप, श्री होलखोमांग (बाह्य मणिपुर)

लोक सभा के पदाधिकारी**अध्यक्ष**

श्री जी०एम०सी० बालयोगी

उपाध्यक्ष

श्री पी०एम०सईद

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री पी०एच० पांडियन

श्री श्रीनिवास पाटील

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह

श्री बेनी प्रसाद वर्मा

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

श्री के० येरननायडू

महसचिव

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

भारत सरकार

मंत्रिपरिषद्

मंत्रिमंडल के सदस्य

श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री तथा ऐसे मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी जिनका प्रभार विशिष्ट तौर पर किसी अन्य मंत्री को आबंटित नहीं किया गया है

(1) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन

(2) योजना

(3) परमाणु ऊर्जा

(4) अंतरिक्ष

श्री लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री

श्री अनन्त कुमार शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री

श्री टी०आर० बालू पर्यावरण और वन मंत्री

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा रसायन और उर्वरक मंत्री

श्री जार्ज फर्नान्डीज रक्षा मंत्री

श्री वेद प्रकाश गोयल पोत परिवहन मंत्री

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन नागर विमानन मंत्री

श्री जगमोहन पर्यटन और संस्कृति मंत्री

श्री अरूण जेटली विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री

डा० सत्यनारायण जटिया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री

श्री मनोहर जोशी भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री

डा० मुरली मनोहर जोशी मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री

श्री प्रमोद महाजन संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

श्री मुरासोली मारन वाणिज्य और उद्योग मंत्री

श्री कड़िया मुण्डा

श्री एम०वैक्य्या नायडू

श्री राम नाईक

श्री नीतिश कुमार

श्री जुएल उराम

श्री राम विलास पासवान

श्री सुरेश प्रभु

श्री काशीराम राणा

श्री अर्जुन सेठी

श्री शांता कुमार

श्री अरूण शौरी

श्री अजित सिंह

श्री जसवन्त सिंह

श्री यशवन्त सिन्हा

श्रीमती सुषमा स्वराज

डा०सी०पी०ठाकुर

कुमारी उमा भारती

श्री शरद यादव

कृषि एवम् ग्रामीण उद्योग मंत्री

ग्रामीण विकास मंत्री

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री

रेल मंत्री

जनजातीय कार्य मंत्री

कोयला और खान मंत्री

विद्युत मंत्री

वस्त्र मंत्री

जल संसाधन मंत्री

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री

कृषि मंत्री

विदेश मंत्री

वित्त मंत्री

सूचना और प्रसारण मंत्री

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री

श्रम मंत्री

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

श्रीमती मेनका गांधी

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की राज्य मंत्री

प्रो० चमन लाल गुप्त

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री

श्री एम०कन्नप्पन

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

भुवन चन्द्र खंडूड़ी	के राज्य मंत्री	श्री हरिन पाठक	रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पाद और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री
श्रीमती वसुन्धरा राजे	लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री	श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी	इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री अशोक प्रधान	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री
	राज्य मंत्री	श्री रवि शंकर प्रसाद	कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री रमेश बैस	सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री पोन राधाकृष्णन	युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती विजया चक्रवर्ती	जल-संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० राजा	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री बंडारू दत्तात्रेय	शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ओ०राजगोपाल	संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री संतोष कुमार गंगवार	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	डा० रमण	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री विजय गोयल	प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री	श्री गिनगी एन०रामचन्द्रन	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा० वल्लभभाई कधीरिया	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सीएच०विद्यासागर राव	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री कृष्णमराजू	रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री बची सिंह रावत "बचदा"	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री
श्री फगन सिंह कुलस्ते	जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री राजीव प्रताप रूडी	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री वी०धनंजय कुमार	वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री तपन सिकदर	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती सुमित्रा महाजन	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री दिग्विजय सिंह	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सुभाष महरिया	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री वी०श्रीनिवास प्रसाद	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती जयवंती मेहता	विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ईश्वर दयाल स्वामी	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सत्यव्रत मुखर्जी	रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री	प्रो० रीता वर्मा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री मुनि लाल	श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री बालासाहिब विखे पाटील	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री श्रीपाद येसो नाईक	पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री उमर अब्दुल्ला	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री		

लोक सभा

सोमवार, 25 फरवरी, 2002/6 फाल्गुन, 1923 (शक)

लोक सभा अपराह्न एक बजकर चौबीस मिनट पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठसीन हुए]

राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान की धुन बजाई गई)

अपराह्न 1.25 बजे

[अनुवाद]

राष्ट्रपति का अभिभाषण*

महासचिव : महोदय, मैं 25 फरवरी, 2002 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण** की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

राष्ट्रपति का अभिभाषण@

माननीय सदस्यगण,

वर्ष 2002 में संसद के इस प्रथम सत्र में आपका स्वागत करते हुए मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है इस सत्र में प्रस्तुत किये जाने वाले बजट और विधायी कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।

जैसे यह सत्र प्रारंभ हो रहा है, चार राज्यों - उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर व उत्तरांचल की विधान सभाओं के लिए हुए चुनावों के अधिकांश परिणाम भी हमारे सामने आ चुके हैं। मैं आप सब के साथ नव निर्वाचित विधायकों को बधाई देता हूँ। हम उत्तरांचल की जनता को विशेष रूप से बधाई देते हैं, जिन्होंने अपना राज्य बनने के बाद, पहली बार, अपनी विधान सभा चुनी है। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में हुए उप चुनावों के परिणामस्वरूप, लोक सभा के नव निर्वाचित सदस्यों का भी मैं स्वागत करता हूँ।

भारतीय लोकतंत्र के इस मंदिर पर पिछले वर्ष 13 दिसम्बर को हुए अभूतपूर्व आतंकवादी हमले के बाद, संसद का यह पहला सत्र है। इस हमले ने हमारी संप्रभुता को खुले-आम ललकारा। यह हमारी

*राष्ट्रपति ने अभिभाषण अंग्रेजी में दिया।

**ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4893/2002

@अभिभाषण का हिन्दी पाठ भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा पढ़ा गया।

राष्ट्रीय अस्मिता पर हमला था। यह विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और जन-प्रतिनिधियों का बड़े पैमाने पर संहार करने का क्रूर व धिनौना कुचक्र था। यदि यह सफल हो जाता तो इससे ऐसी तबाही होती, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अपनी संसद और अपने सांसदों को बचाने के लिए, नौ वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। हम उन शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

विगत 13 दिसंबर को जो कुछ हुआ, वह भारत के विरुद्ध सीमा-पार से बीस वर्षों से चलाए जा रहे निंदनीय आतंकवादी कुकृत्यों में सबसे धिनौना था। ऐसी चुनौती से निर्णायक व अंतिम रूप से निपटने का हमारा संकल्प और भी दृढ़ हुआ है। इस षडयंत्र की जांच से स्पष्ट रूप से यह पता चलता है कि इसमें आतंकवादी संगठनों का हाथ है, जो पाकिस्तान की धरती से और वहां की शासन-सत्ता के समर्थन से काफी समय से अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। अब यह भी सिद्ध हो चुका है कि ये आतंकवादी संगठन विचारधारा, प्रेरणा, संसाधन व संभार-तंत्र के जरिए उन संगठनों से निकटता से जुड़े हुए हैं जिन्होंने 11 सितम्बर, 2001 को अमेरिका पर हमला किया था।

मेरी सरकार ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि भारत अपने सभी संसाधनों के जरिए सीमा-पार से चलाए जा रहे आतंकवाद को समाप्त करने के लिए कृतसंकल्प है। हमारी सशस्त्र सेनाओं के बहादुर जवान और अफसर पश्चिमी सीमा पर पूरी तरह मुस्तैद हैं और विषम परिस्थितियों के बावजूद लगातार चौकसी बनाए हुए हैं। किसी भी प्रकार के हमले को नाकाम करने के लिए आवश्यक सैन्य शक्ति व तैयारी को बनाए रखा जाएगा। साथ ही साथ, हमने पाकिस्तान के विरुद्ध कूटनीतिक व राजनयिक स्तर पर बहुत से कदम उठाए हैं। हमने, सीमा-पार से चलाए जा रहे आतंकवाद के विरुद्ध अपने न्यायोचित संघर्ष के बारे में विश्व के विभिन्न देशों की सरकारों और वहां के लोगों को जागरूक करने के लिए प्रयास भी तेज कर दिए हैं। हमने इस बात पर जोर दिया है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आतंकवाद की कहीं तो निंदा की जाए और कहीं उसे अनदेखा कर दिया जाए। आतंकवाद के विरुद्ध विश्व स्तर पर और व्यापक रूप से संघर्ष किए जाने की आवश्यकता है इस संघर्ष में न केवल आतंकवादियों को निशाना बनाया जाना चाहिए, बल्कि उन्हें समर्थन देने, धन उपलब्ध कराने या पनाह देने वालों को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। इन प्रयासों में योगदान देने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के कई सांसदों ने हाल ही में विभिन्न देशों की यात्रा की। अब भारत की स्थिति को अन्य देश बेहतर ढंग से समझते हैं वे उसका समर्थन करते हैं। हाल ही में, कोलकाता में हुए आतंकवादी हमले के मुख्य अभियुक्त को हमारे सुपुर्द कर देने के लिए संयुक्त अरब अमीरात को राजी करने में हमने जो सफलता पाई है, वह इसका उदाहरण है।

आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक संघर्ष के इस दौर में समूचा राष्ट्र एक है। इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों में हुई सर्वसम्मति से हमारे लोकतंत्र की परिपक्वता और महानता एक बार फिर उजागर हुई है।

यह मांग की जाती रहती है कि पाकिस्तान से पुनः बातचीत शुरू की जाए। यह नहीं हो सकता कि आतंकवाद भी जारी रहे और वार्ता भी की जाए। हाल ही की घटनाएं इस बात का सबूत हैं कि भारत, पाकिस्तान के साथ, सदैव ही सार्थक बातचीत के लिए तैयार रहा है परंतु पाकिस्तान अपनी विश्वासघाती करतूतों से बातचीत को विफल करता रहा है। भारत, पाकिस्तान के साथ बातचीत की प्रक्रिया पुनः शुरू करने के लिए तैयार है बशर्ते कि वह इस बारे में हमें संतुष्ट कर दे कि उसने आतंकवादियों को प्रशिक्षण, हथियार, धन आदि उपलब्ध न कराने और जम्मू-कश्मीर तथा भारत के अन्य हिस्सों में आतंकवादियों की घुसपैठ रोकने के लिए वस्तुतः प्रभावी उपाय कर लिए हैं। हम पाकिस्तान से यह भी मांग करते हैं कि वह उन बीस आतंकवादियों को हमें सौंप दे, जिन्होंने भारत में गंभीर अपराध किए हैं और जिन्हें पाकिस्तान शरण देता आ रहा है भारत के विरुद्ध शत्रुता समाप्त करने और जम्मू-कश्मीर सहित सभी अनसुलझे मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से विचार-विमर्श करने के लिए मार्ग प्रशस्त करने की दिशा में पाकिस्तान की ईमानदारी की परीक्षा तभी होगी जब वह उक्त मांगों के संबंध में सकारात्मक कार्रवाई करे।

जम्मू-कश्मीर की आंतरिक स्थिति से निपटने के लिए सरकार की स्पष्ट नीति है इसके तहत पहले तो आतंकवादियों से कड़ाई से निपटा जाना है। इसमें हमारे सुरक्षा बल पहले ही उल्लेखनीय सफलता प्राप्त कर चुके हैं। हम जम्मू-कश्मीर से आतंकवाद को उसी प्रकार समाप्त करने में सफल होंगे जैसा कि पिछले देशक में हमने पंजाब में किया था। इस विषय में किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। हमारी नीति का दूसरा उद्देश्य, राज्य के तीनों क्षेत्रों के द्रुत आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करना, विशेषकर, युवाओं के लिए रोजगार सृजित करना है। तीसरी बात यह है कि हम राज्य के किसी भी ऐसे समुदाय के साथ बात करने के लिए तैयार हैं जो हिंसा का मार्ग छोड़ना चाहते हैं और जिनकी शिकायतें जायज हैं।

जम्मू-कश्मीर की जनता निष्पक्ष चुनाव के जरिए इस वर्ष नई विधान सभा चुनेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमें उन तत्वों से सावधान रहना चाहिए, जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते और जो लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति को रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने को तत्पर हैं। मुझे विश्वास है कि आगामी चुनावों से शांति व सामान्य स्थिति बहाल होने में मदद मिलेगी और जम्मू-कश्मीर के समग्र विकास की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी।

सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। मंत्री समूह ने राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र की व्यापक समीक्षा की थी और उसकी सिफारिशों के आधार पर, उच्चतर रक्षा प्रबंधन में दूरगामी सुधार किए जा रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप, सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों के बीच गहन समन्वय और सैन्य व सिविल प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में एकीकरण भी स्थापित किया जा रहा है रक्षा संबंधी खरीदों में तत्परता लाने, उन्हें सशस्त्र

बलों की आवश्यकताओं के और अधिक अनुरूप बनाने और खरीद-कार्य में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए अलग से रक्षा खरीद बोर्ड गठित किया गया है।

मैं, पिछले माह अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किए जाने पर, अपने रक्षा वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई देता हूँ। हमारे द्वारा पहले परीक्षण की गई अन्य मिसाइलों के साथ इस मिसाइल के जुड़ जाने से, हमको निशाना बनाकर की जाने वाली किसी भी दुस्साहसपूर्ण सैन्य कार्रवाई के खिलाफ भारत की प्रतिरक्षा क्षमता और मजबूत हो जाएगी।

आत्म-निर्भरता के अपने अनवरत प्रयास में, हमने अनेक प्रकार के रक्षा उपकरणों का विनिर्माण निजी क्षेत्र के लिए भी खोल दिया है ताकि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को, निजी भारतीय कंपनियों द्वारा, हाल के दशकों में, विकसित प्रभावशाली क्षमताओं का लाभ मिल सके। निजी कंपनियां अब रक्षा उद्योग लगाने, और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपकरणों के साथ सहयोग स्थापित करने के संबंध में लाइसेंस लेने के लिए आवेदन कर सकेंगी। ऐसी कंपनियां इक्विटी के 26 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भी ले सकती हैं। इससे स्वदेशी रक्षा उत्पादन और निर्यात को नई शक्ति प्राप्त होगी।

आंतरिक सुरक्षा अब राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न अंग बन चुकी है। संघ सरकार, राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ सहायोग से देशभर में आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक उपाय करती रही है। आज आंतरिक सुरक्षा को आतंकवाद और संगठित अपराध में सबसे ज्यादा खतरा है। इनसे हमारी बाह्य सुरक्षा और हमारी राष्ट्रीय एकता को भी खतरा है क्योंकि इनके हमारे पड़ोसी देशों में भारत-विरोधी ताकतों के नेटवर्क से जग-जाहिर संपर्क है। इसलिए, सरकार ने आतंकवादी अपराधों से शीघ्र व कारगर ढंग से निपटने के लिए संघीय कानून बनाना आवश्यक समझा। इस काम में, सरकार ने कुछ राज्यों में पहले से मौजूद या फिर कुछ अन्य राज्यों में विचाराधीन समान कानून भी देखे। तदनुसार, 24 अक्टूबर, 2001 को आतंकवादी निवारण अध्यादेश, 2001 प्रख्यापित किया गया। चूंकि संसद इसके स्थान पर विधेयक पारित नहीं कर सकी थी, इसलिए इस अध्यादेश को पुनः प्रख्यापित करना पड़ा। ऐसा करते समय, सरकार ने विभिन्न राजनीतिक दलों के सुझाव लिए और समुचित संशोधन किए।

साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखना और अपने संविधान के पंथ निरपेक्ष सिद्धांतों का पालन करना हमारे राष्ट्र की विशेषताओं का मूल आधार है मैं काफी संतोषप्रद रूप से यह कहना चाहता हूँ कि यदि पिछले कुछ वर्षों पर नज़र डालें, तो वर्ष 2001 में साम्प्रदायिक हिंसा की घटनाएं अपेक्षाकृत कम ही हुई हैं। तथापि, सरकार साम्प्रदायिक अशांति भड़काने का प्रयास करने वालों पर लगातार कड़ी नज़र रखेगी। इस दिशा में, सरकार ने कुछ कट्टरपंथी संगठनों पर उनकी राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के कारण प्रतिबंध लगा दिया है। मैं लोगों से तथा सभी

राजनीतिक और गैर-राजनीतिक संगठनों से अपने अनेक धर्मों वाले समाज में शांति और सौहार्द को पुख्ता करने के लिए हर संभव कार्य करने और ऐसा करके राष्ट्रीय एकता के बंधनों को और अधिक मजबूत बनाने की अपील करता हूँ।

अयोध्या विवाद भी राष्ट्र के समक्ष मौजूद विवादास्पद मुद्दों में से एक है। साम्प्रदायिक सौहार्द और राष्ट्र की अखण्डता के लिए इसका सौहार्दपूर्ण और शीघ्र समाधान निकालना जरूरी है सरकार का दृढ़ मत है कि इस विवाद को या तो सभी संबंधित पक्षकारों के बीच परस्पर सहमति से या फिर न्यायपालिका के निर्णय से सुलझाया जा सकता है। इस विवाद का समाधान करने में आसानी के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय में, हाल ही में अयोध्या सेल बनाया गया है। कानूनी रिसीवर होने के नाते भारत सरकार अयोध्या में इस विवादित स्थल पर यथास्थिति कायम रखने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं वह यह भी सुनिश्चित करेगी कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और विकास पर हमारी सरकार का निरंतर ध्यान केन्द्रित रहा है। इस क्षेत्र में शांति, समृद्धि और कल्याण के मार्ग में आतंकवाद और उग्रवाद मुख्य बाधाएं रही हैं। उग्रवादी गुटों में अनेक के पीछे पड़ोसी देशों में विद्यमान भारत-विरोधी ताकतों का हाथ रहा है। सरकार हिंसा का रास्ता अपनाने वालों से सख्ती से निपटेगी। तथापि, सरकार उन सभी से बातचीत करने के लिए तैयार है जो हिंसा का रास्ता छोड़ देंगे। साथ ही, सरकार इस बहु-जातीय क्षेत्र में लोगों की समस्याओं और कठिनाइयों के प्रति संवेदनशील रहते हुए कार्रवाई करेगी। पहली बार, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए विशेष मंत्रालय का गठन किया गया है। पूर्वोत्तर परिषद को सुदृढ़ किया गया है। विकास संबंधी विभिन्न परियोजनाओं का धीमा क्रियान्वयन बहुत समय से पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्याओं का कारण रहा है। इन परियोजनाओं के लिए अलग से काफी धन की व्यवस्था की गई है। नए मंत्रालय के बनने से यह स्थिति सुधरने लगी है। मैं इस क्षेत्र की सभी राज्य सरकारों से अनुरोध करता हूँ कि वे इस प्रयास में पूरा सहयोग करें।

विभिन्न उग्रवादी गुटों के साथ वार्ता की संतोषजनक प्रगति होने से नागालैण्ड में शांति प्रक्रिया को बल मिला है। पिछले एक वर्ष में, खासकर अच्छी बात यह रही है कि नागालैण्ड के लोग शांति, वार्ता और विकास के पक्ष में खुलकर सामने आए हैं। मिजोरम पहले से ही शांति स्थापना का लाभ ले रहा है। सरकार अन्य सभी पूर्वोत्तर राज्यों के प्रयासों में पूरी सहायता करेगी ताकि वे उसके उदाहरण का अनुकरण करें।

राष्ट्रीय सुरक्षा और चहुँमुखी विकास के दोहरे उद्देश्य प्राप्त करने के लिए एक मजबूत अर्थव्यवस्था का होना अति आवश्यक है। विश्व अर्थव्यवस्था में आई मंदी से भारत भी प्रभावित हुआ है। वर्ष 2000-2001

में वृद्धि-दर में कमी हुई है। तथापि, चालू वर्ष के पूर्वानुमानों से लगता है कि 5.4 प्रतिशत तक वृद्धि हो, एवं एक बार फिर भारत विश्व में तीव्रतम गति से अग्रसर पांच वृहद अर्थव्यवस्थाओं के समूह में आ सका है। बहरहाल, वृद्धि की यह दर न तो पर्याप्त है और न ही संतोषजनक। हमें तीव्र गति से अनेक सुधार करने की आवश्यकता है ताकि हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 8 प्रतिशत और इससे अधिक हो सके। मात्र इससे ही अगले दस वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगुनी करने तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों की संख्या को घटाकर आधी करने के अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त की जा सकती है इस कार्य की तात्कालिकता को महसूस करते हुए, सरकार ने सुधार-कार्यसूची तैयार करने और उसके कार्यान्वयन को सुकर बनाने एवं मानीटर करने के उद्देश्य से आर्थिक सुधार संबंधी मंत्रिमंडल समिति का गठन किया है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना इस वर्ष आरम्भ हो रही है। इस योजना के दृष्टिकोण पत्र का उद्देश्य योजना अवधि 2002-2007 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि प्रतिवर्ष 8 प्रतिशत की दर से बढ़ाना है। इसमें मानव विकास के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आयाम शामिल करते हुए, ऐसे विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करने का भी प्रस्ताव है, जिनकी मानीटरिंग की जा सकती हो। योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करना हमारी इस क्षमता पर निर्भर करता है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था में निवेश दर में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकें, विद्यमान पूंजीगत परिसम्पत्तियों की उत्पादकता बढ़ा सकें; नए निवेश की क्षमता में सुधार करने के लिए दूसरे चरण के नीतिगत सुधार अपनाएं; और सभी राज्यों में सुधारों को कारगर बनाने और उन्हें गहन और व्यापक बनाने के लिए बढ़ावा दे सकें।

मैं, किसानों को हार्दिक बधाई देने में आप सबके साथ हूँ। इन्होंने फिर से भरपूर पैदावार की है। खाद्यान्नों का उत्पादन वर्ष 2001-2002 में 210 मिलियन टन होने की संभावना है, जो एक नया रिकार्ड होगा, जबकि पिछले वर्ष यह 196 मिलियन टन हुआ था। वर्ष 2000-2001 के दौरान 81 मिलियन टन दूध का उत्पादन करके, भारत विश्व में डेरी उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। हमने कृषि उत्पादन के बहुत से अन्य क्षेत्रों में भी प्रभावशाली प्रगति की है।

सरकार का प्रयास है कि वह भारतीय कृषि को नई चुनौतियों के लिए तैयार करें और अतीत के बंधनों से मुक्ति दिलाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। कृषि उत्पादों को एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने ले जाने पर लगे प्रतिबंधों को हटाया जाएगा ताकि किसानों को बेहतर मूल्य मिल सकें। चीनी उद्योग से पूरी तरह नियंत्रण शीघ्र हटा लिया जाएगा। इसे लाइसेंस मुक्त किए जाने से लाभ मिलने पहले ही शुरू हो गए हैं। पहली बार, चीनी मिलों को एथेनाल की आपूर्ति की अनुमति दी गई है ताकि

इसे पेट्रोल व डीजल के साथ 5 प्रतिशत तक मिलाया जा सके। इससे ने केवल हमारे तेल आयात में बचत होगी, बल्कि हमारी चीनी मिलों की वाणिज्यिक व्यवहार्यता भी बढ़ेगी। इन सबके अतिरिक्त, गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों को अधिक मूल्य भी मिलेगा। सरकार सहकारी क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए कटिबद्ध है जिससे कि वे आर्थिक सुधारों के पूरे लाभ उठा सकें। सही समय पर और पर्याप्त मात्रा में ऋण का दिया जाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कृषि के विकास के लिए यथासमय पर्याप्त जल उपलब्ध कराया जाना। सरकार ग्रामीण ऋण सहकारी समितियों को, जोकि किसानों की इस महत्वपूर्ण आवश्यकता को उनके द्वार पर उपलब्ध कराती है, सुदृढ़ बनाने के उपाय करेगी ताकि कृषि क्षेत्र का विकास और किसानों का कल्याण सुनिश्चित किया जा सके। ये कृषि विकास बनाए रखने और किसानों को उनके कल्याण के लिए यह महत्वपूर्ण सुविधा सुलभ कराती है।

सबसे गरीब व्यक्तियों के लिए खाद्य सुरक्षा कृषि नीति की सर्वोच्च प्राथमिकता है। तदनुसार, गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे परिवारों के लिए लक्ष्यांकित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों का आबंटन और बढ़ाकर जुलाई, 2001 से 25 किलो प्रति परिवार कर दिया गया है। इसके पहले, यह अप्रैल, 2000 से 10 किलो से बढ़ाकर 20 किलो प्रति परिवार किया गया था। गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए खाद्यान्नों का केन्द्रीय निर्गम मूल्य भी घटाकर आर्थिक लागत का लगभग सत्तर प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, काम के बदले अनाज कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सूखा या प्राकृतिक आपदा से प्रभावित ग्यारह राज्यों को जनवरी, 2001 से तीन मिलियन टन से अधिक खाद्यान्न निःशुल्क आबंटित किया गया है।

उत्पादन, परिवहन और वितरण में अपव्यय और क्षति, भारत में खाद्य अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्या हैं अनुमान है कि कटाई के दौरान और उसके बाद कृषि वस्तुओं में प्रत्येक वर्ष 70,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान होता है। सरकार इन क्षतियों को रोकने के लिए व्यापक कार्यनीति बनाने पर विचार कर रही है।

भारत का पशुधन हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उपेक्षित क्षेत्रों में से एक है। पिछले वर्ष, सरकार ने पशुओं की सुरक्षा, संरक्षण, विकास, कल्याण एवं लाने ले जाने संबंधी संगत कानून की समीक्षा करने और गोशालाओं, गोसदनों और पिंजरापोलों की उन्नत कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए "राष्ट्रीय पशु आयोग" का गठन किया है। इस आयोग की सिफारिशों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।

अप्रैल-नवम्बर, 2001 में औद्योगिक वृद्धि दर 2.2 प्रतिशत रही, जो वर्ष, 2000 की इसी अवधि में प्राप्त 6 प्रतिशत की तुलना में कम है औद्योगिक वृद्धि में यह गिरावट कई कारणों से आई है जिनमें विश्वव्यापक मंदी, व्यापार चक्र के उतार-चढ़ाव, कारपोरेट पुनर्संरचना

में अंतर्निहित समायोजन में देरी आदि और परिणामस्वरूप उपभोक्ता और निवेश मांग-दोनों में गिरावट शामिल हैं।

हमारी अर्थव्यवस्था के कतिपय क्षेत्रों में मंदी के बावजूद, इसके आधार मजबूत बने हुए हैं। मुद्रास्फीति और कम हुई है, जो पिछले दो दशकों में निम्नतम है हमारा विदेशी मुद्रा भण्डार रिकार्ड स्तर पर है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बढ़ा है। पिछले वर्ष, पेट्रोलियम उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोत्तरी के बावजूद, देश की भुगतान संतुलन स्थिति स्थिर रही है। भारत के निर्यात में सकारात्मक बढ़ोत्तरी जारी है। निस्संदेह, पिछले वर्ष की वृद्धि दर विगत दशक में सबसे अधिक थी।

भारत ने पिछले वर्ष दोहा में हुए विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में अपने राष्ट्रीय हितों की सफलतापूर्वक रक्षा की। हमने उरूग्वे दौरे के करारों के कारण उत्पन्न कार्यान्वयन संबंधी विभिन्न मुद्दों को उजागर करने में समान सोच वाले विकासशील देशों के साथ समन्वय किया। हमने यह भी सुनिश्चित किया कि व्यापार वार्ता के अगले दौर में विकासशील देशों की मुख्य चिंताओं पर ध्यान दिया जाए।

आर्थिक परिवेश बेहतर बनाने एवं आधारभूत संरचना संबंधी बाधाएं दूर करने के लिए, पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा लागू किए गए विभिन्न नीतिगत सुधारों के परिणाम सामने आने लगे हैं। यह स्थिति दूरसंचार सेवाओं के महत्वपूर्ण क्षेत्र में स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती हैं माननीय सदस्यों को यह सूचित करते हुए, मुझे प्रसन्नता हो रही है कि अब, भारत में प्रतिघंटे टेलीफोन की एक हजार नई लाइनों की बढ़ोत्तरी हो जाती है। वर्ष 1999 में सेल्यूलर फोन के उपभोक्ताओं की संख्या मात्र 1.2 मिलियन थी जो अब 5.7 मिलियन से भी अधिक हो गई है। फिक्स्ड लाइन कनेक्शनों की संख्या बढ़कर 36 मिलियन से भी अधिक हो गई है जबकि वर्ष 1999 में यह 21 मिलियन थी। अब पहले से बहुत ज्यादा भारतवासी दूरसंचार सेवाओं को लाभ उठा रहे हैं, जिनमें ग्रामीण और सुदूर क्षेत्र के निवासी भी शामिल हैं। परन्तु, पहले की तुलना में, ये सेवाएं काफी सस्ती हो गई हैं। एसटीडी की दरें 62 प्रतिशत तक कम हो गई हैं। आज, किसान अपने जिले में बहुत से स्थानों पर लगभग स्थानीय काल की दरों पर ही फोन पर बात कर सकता है।

इसी प्रकार की उपलब्धि, जनसाधारण तक सूचना प्रौद्योगिकी के लाभ पहुंचाने में भी दिखाई देती है। इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या वर्ष 1999 में केवल ढाई लाख थी, जो अब बढ़कर लगभग 4 मिलियन हो गई है। भारतीय भाषाओं में इंटरनेट का प्रयोग भी नियमित रूप से बढ़ रहा है। जब माननीय सदस्य संसदीय कार्य में भाग लेने के लिए दिल्ली में हों, तो वे उसी दिन अपने राज्यों से प्रकाशित होने

वाले बहुत से समाचार पत्र इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं। इसलिए हम गर्व से यह दावा कर सकते हैं कि हमने, वास्तव में, डिजिटल डिवाइड काक कुछ हद तक कम कर दिया है। फिर भी, अभी हमें काफी लम्बी दूरी तय करनी है। देशभर में तीव्र, व्यापक और किफायती डिजिटल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने की एक प्रक्रिया नया संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय चला रहा है। इन दोनों क्षेत्रों के कार्यों के बीच सहज समानता को ध्यान में रखते हुए, संचार मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दोनों को मिलाकर, यह नया मंत्रालय बनाया गया है, ताकि प्रौद्योगिकीय अभिसरण की आवश्यकता के अनुरूप कार्य किया जा सके।

विश्व अर्थव्यवस्था में गिरावट के बावजूद, भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी निर्यात में अपना प्रमुख स्थान बनाए रखा है। दस वर्ष पहले, भारत का साफ्टवेयर निर्यात नाममात्र का था जबकि अब यह हमारे कुल निर्यात का 14 प्रतिशत हो गया है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयरों का और सेवा उद्योग का योगदान भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.7 प्रतिशत हो गया है। हमारा लक्ष्य वर्ष 2008 तक 50 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य के साफ्टवेयरों का निर्यात करना है और हम इस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर हैं। बायो-प्रौद्योगिकी जैसे अन्य ज्ञान आधारित उद्योग भी तेजी से विकसित होने की स्थिति में आ रहे हैं और आने वाले वर्षों में अर्थव्यवस्था में इनका योगदान बढ़ पाएगा।

भारत का मनोरंजन उद्योग ज्ञान-अर्थव्यवस्था में एक अग्रणी क्षेत्र के रूप में उभरा है भविष्य में, इस क्षेत्र में अत्यधिक संभावनाएं हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय फिल्मों का निर्यात प्रति वर्ष वस्तुतः दुगुना हुआ है। सरकार, भारतीय फिल्मों और संगीत की विश्व बाजार में पहुँच को बढ़ाने और उनके निर्यात में वृद्धि करने के लिए विभिन्न अनुकूल रूप से नीतिगत प्रयास कर रही है। इससे इस क्षेत्र के भारतीय विषय वस्तु विशेषज्ञों और सर्विस प्रोवाइडरों की मांग विदेश में उसी तरह बढ़ जाएगी जिस तरह हमारे सूचना प्रौद्योगिकी प्रोफेशनलों की बढ़ी है। टेलीविजन और एफ०एम० रेडियो, दोनों क्षेत्रों में हमारी उदारकृत नीतियों से इन क्षेत्रों में निजी निवेश बढ़ा है, तथा देखने-सुनने के लिए उपभोक्ताओं को अधिक प्रोग्राम मिलने लगे हैं। सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रसारण सेवाओं के विकास के लिए एक विशेष पैकेज अनुमोदित किया है। सरकार ने विश्वस्तरीय राष्ट्रीय प्रेस सेंटर बनाने के लिए कार्रवाई शुरू की है। श्रमजीवी पत्रकारों द्वारा उठाए जा रहे जोखिमों को देखते हुए, उनके कल्याण के लिए एक स्कीम अधिसूचित की गई है।

जहां सरकार की एक प्राथमिकता विश्वव्यापी डिजिटल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है, वहीं उसकी दूसरी प्राथमिकता पूरे देश में फिजिकल कनेक्टिविटी को तीव्र गति से सार्थक रूप से उन्नत बनाना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, सरकार ने दो विशिष्ट परियोजनाएँ—राष्ट्रीय

राजमार्ग विकास परियोजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, शुरू की हैं, और ये दोनों ही स्वतंत्रता प्राप्ति से आज तक की सबसे महत्वाकांक्षी आधारभूत परियोजनाओं में से हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की तीव्र प्रगति को देखते हुए, सरकार सड़क विकास कार्य को बड़े पैमाने पर बढ़ा रही है। राष्ट्रीय राजमार्गों को तेरह हजार किलोमीटर तक चार व छः लेन का बनाया जा रहा है। इसमें से, 1,800 किलोमीटर मार्ग को चौड़ा किया जा चुका है। चार महानगरों को जोड़ने वाली स्वर्णिम चौमार्गीय नामक इस परियोजना के पहले चरण का कार्य अपनी नियत समयावधि से एक वर्ष पहले ही पूरा हो जाने की ओर अग्रसर है। आशा है कि यह वर्ष 2003 तक पूरा हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अगले दो वर्षों में, प्रत्येक वर्ष 10,000 करोड़ रुपए व्यय करेगा। अकेले इस प्रथम चरण से ही 19 करोड़ श्रम दिवसों का प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। इसके अतिरिक्त, इससे 10 मिलियन टन सीमेंट, 1 मिलियन टन स्टील और बड़ी मात्रा में सड़क संबंधी स्वदेश निर्मित उपस्करों की मांग बढ़ेगी। साथ ही, केन्द्र सरकार राज्यों को उनके राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को बेहतर बनाने के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष दे रही है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कार्यान्वयन सही दिशा में प्रारंभ हुआ है इसके प्रथम चरण में, 1,000 से अधिक आबादी वाले सड़कों से न जुड़े गांवों के लिए बारहमासी सड़कों का निर्माण कार्य वर्ष 2007 तक पूरा हो जाएगा। केन्द्र द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित इस स्कीम के अंतर्गत, लगभग 7,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पहले ही मंजूर कर दिए गए हैं। सरकार, इस स्कीम के तहत आबंटन को गैर-बजटीय स्रोतों से और बढ़ाना चाहती है।

रेलवे की विद्यमान परिसंपत्तियों के स्थान पर दूसरी परिसंपत्तियों की व्यवस्था, विशेषकर सुरक्षा से संबंधित क्षेत्रों में, करने के लिए 17,000 करोड़ रुपए की व्ययगत न होने वाली एक विशेष रेलवे सुरक्षा निधि बनाई गई है। इस वर्ष के साथ ही समाप्त हो रही नौवीं योजना में, भारतीय रेलवे 2,300 किलोमीटर मार्ग के विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा कर लेगी। इसके साथ, भारतीय रेलवे नेटवर्क के 25.2 प्रतिशत हिस्से का विद्युतीकरण हो जाएगा। इससे लगभग 63 प्रतिशत माल की ढुलाई की जा सकेगी और 49 प्रतिशत यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकेगा।

एक नया पोत परिवहन मंत्रालय बनाया गया है जो महत्वपूर्ण क्षेत्र पर और अधिक ध्यान केन्द्रित करेगा। यह हमारे प्रमुख बंदरगाहों की क्षमता और कार्यक्षमता को समुचित रूप से बढ़ाने में सफल हुआ है। पहली बार जहाजों को घाट के लिए इंतजार नहीं करना होता है। सरकार,

भारत की नौवहन कंपनियों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शीघ्र ही नए नीतिगत उपायों की घोषणा करेगी। एक अंतर्देशीय जल परिवहन विकास परिषद की स्थापना की गई है। पिछले वर्ष पारित संगत अधिनियम में संशोधन किए जाने के परिणामस्वरूप, भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण में संगठनात्मक परिवर्तन लाने में सहायता मिली है और इससे प्राधिकरण को यह अधिकार प्राप्त हुआ है कि वह बाँड या डिबेंचर जारी करके बाजार से निधियां जुटाए। इन उपायों से, हमारे देश को बड़े पैमाने पर परिवहन के किफायती और कम प्रदूषित साधन का भरपूर उपयोग करने में सहायता मिलेगी।

भारतीय विद्युत क्षेत्र आज विकट स्थिति में है। देश में, विद्युत की सर्वाधिक मांग के समय विद्युत आपूर्ति में 13 प्रतिशत की कमी एवं ऊर्जा में 7 प्रतिशत की कमी लगातार बनी हुई है। इसके साथ-साथ आपूर्ति की घटिया क्वालिटी, निम्न वोल्टेज व ग्रिड में अस्थिरता की समस्याएँ भी हैं। विद्युत क्षेत्र में चिंताजनक स्थिति का मुख्य कारण राज्य विद्युत बोर्डों और जनोपयोगी संस्थानों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति है। वर्ष 1992-93 में राज्य विद्युत बोर्डों को 4,560 करोड़ रुपए की हानि हुई थी, जो 2000-01 में बढ़कर 20,527 करोड़ रुपए हो गई। राज्य विद्युत बोर्डों की यह खराब वित्तीय स्थिति बहुत से कारणों से है, जिनमें बिजली की बड़े पैमाने पर चोरी और घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को, सामर्थ्य से बाहर दी जाने वाली क्रॉस-सब्सिडी भी शामिल है।

बिजली क्षेत्र में सुधारों को और गति प्रदान करने के लिए, सरकार ने एक नए विद्युत विधेयक का मसौदा तैयार किया। इसे पिछले वर्ष, संसद में प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक से सभी राज्यों के लिए सुधारों को करना अनिवार्य हो जाएगा और राज्यों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे अपने-अपने राज्य विद्युत विनियमन आयोग का गठन करें। साथ ही, यह विधेयक लचीला भी है और इसके अंतर्गत संबंधित राज्य को अपने यहां की वस्तु स्थितियों के आधार पर सुधारों का माडल अपनाने की स्वतंत्रता दी गई है।

इस वर्ष, अप्रैल से निर्देशित कीमत निर्धारण तंत्र को समाप्त कर देने के परिणामस्वरूप, धीरे-धीरे एक प्रतिस्पर्धी बाजार उभरेगा जिस पर न्यूनतम नियंत्रण ही होगा। ऐसा होने से पेट्रोलियम उत्पादों के उपभोक्ता और पेट्रोलियम उद्योग-दोनों ही लाभान्वित होंगे। ऑयल पूल एकाउंट मैकनिज्म की बजाय, सरकार के राजकोषीय बजट के मार्फत सब्सिडी देने की व्यवस्था अधिक पारदर्शी होगी। हाल ही में, पहली बार, हाइड्रोकार्बन के अपारंपरिक स्रोतों के दोहन के लिए कोल बेड मीथेन के सात प्रखण्डों का आबंटन किया गया है। संविदाओं पर शीघ्र ही हस्ताक्षर किए जाने की आशा है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 1.1 करोड़ से भी अधिक एल पी जी कनेक्शनों की प्रतीक्षा-सूची

वर्ष 2001 में पूरी तरह से समाप्त हो गई। ग्रामीण जनता को एल पी जी की और अधिक सुविधा मुहैया कराने के लिए केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1500 एल पी जी वितरण एजेंसियों की व्यवस्था किए जाने का प्रस्ताव है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र-उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्ष 2005 तक मल्टी फाइबर करार के चरणबद्ध रूप से समाप्त होने से जो चुनौतियां आएंगी, उनका सामना करने के लिए खुद को तैयार करने में वस्त्र-उद्योग को, नई वस्त्र नीति से सहायता मिली है। प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि से तीव्र आधुनिकीकरण में मदद मिल रही है। यह अन्य वस्त्र उत्पादक देशों के साथ विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए महत्वपूर्ण है।

नई पर्यटन नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस पर राज्य सरकारों, होटल उद्योग, पर्यटन और ट्रेवल आपरेटरों तथा अन्य संबंधित संगठनों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया गया है। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर के समन्वित पर्यटन सर्किटों को विकसित करना और भारत के अद्वितीय आकर्षणों का अधिकाधिक लाभ उठाना है। आधारभूत संरचना एवं पर्यटन सेवाएं प्रदान करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करके, और सांस्कृतिक विरासत के स्थलों का विकास तथा पर्यावरणीय संरक्षण करके, इस दूरदर्शी नीति को अपनाने से भारतीय पर्यटन उद्योग आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और विदेशी मुद्रा अर्जन का प्रमुख स्रोत बन जाएगा।

सार्वजनिक क्षेत्र ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के राष्ट्रीय उद्देश्य की प्राप्ति में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। तथापि, भारत और पूरे विश्व के आर्थिक माहौल में आए महत्वपूर्ण बदलाव से यह जरूरी हो गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र-दोनों प्रतिस्पर्धात्मक बनें। अपने अनुभव, विशेषरूप से पिछले दशक के अनुभवों से, सीख लेते हुए यह स्पष्ट हो गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश करने के अलावा, और कोई विकल्प नहीं है, इसलिए ऐसा करना अनिवार्य हो गया है। अधिकांश उपक्रम लंबे समय से घाटे में चल रहे हैं। इसे अब और सहन नहीं किया जा सकता। लोगों ने विनिवेश नीति और इसकी पारदर्शी प्रक्रियाओं को व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया है, जिसमें कम शेयरों वाली कंपनियों का विनिवेश करने की बजाए, स्ट्रेटेजिक बिक्री को महत्व दिया गया है। इसके उत्कृष्ट परिणाम सामने आ रहे हैं। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के श्रमिकों के लिए बने सुरक्षा तंत्र में सुधार करने के लिए दो प्रमुख कदम उठाए हैं। इनमें से पहला है- सार्वजनिक क्षेत्र के जिन उपक्रमों में 1992 या 1997 में वेतन संशोधन नहीं हुआ है उनमें स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम के अंतर्गत मिलने वाले लाभों में बढ़ोतरी होगी तथा दूसरे कदम से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम के तहत सेवा निवृत्त होने वाले श्रमिकों के लिए स्वरोजगार के प्रशिक्षण-अवसरों में वृद्धि होगी।

अपने संसाधनों का उत्पादनकारी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, यह वांछनीय नहीं है कि ये अलाभकारी, अनुत्पादक इकाइयों में बेकार पड़े रहें। इन इकाइयों, इनके कामगारों और लेनदारों तथा समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर होगा कि अनुत्पादक इकाइयों का तत्काल अधिग्रहण कर लेने की कोई व्यवस्था हो ताकि पूंजी का लाभकारी ढंग से इस्तेमाल किया जाता रहे। तदनुसार, दिवाला विषयक कानून को तत्काल लाने की आवश्यकता है जिससे कि कामगारों को देय राशियों का शीघ्र भुगतान हो सकेगा और अलाभकारी फर्में बंद हो सकेंगी।

परिमाण संबंधी पाबंदियों के हटने से, लघु क्षेत्र के समक्ष विभिन्न चुनौतियां व अवसर आ गए हैं तथा विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धा उनके समक्ष है। इस बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा की चुनौती का सामना करने के लिए, इस क्षेत्र को अपनी क्षमता बढ़ानी होगी ताकि अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगी मूल्य पर विश्व मानकों के अनुरूप उत्पाद तैयार हो सकें। इस क्षेत्र की सहायता के लिए, सरकार पहले ही कई योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। यदि आवश्यक हुआ तो और योजनाएं भी बनाई जाएंगी।

हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए चुनाव संबंधी सुधार काफी समय से लंबित है। इस प्रयास के एक भाग के तहत राजनीतिक दलों के खातों में अधिक पारदर्शिता लाने और चैक से भुगतान करने के लिए प्रोत्साहन देने के संबंध में नीति बनाई जा रही है। सरकार ने निर्णय लिया है कि खुले मतदान द्वारा राज्य सभा का चुनाव किया जाए और किसी राज्य विशेष से राज्य सभा का चुनाव लड़ने के लिए उस राज्य का निवासी होने की शर्त हटा दी जाए।

फास्ट ट्रैक कोर्ट, दो वर्ष अथवा उससे अधिक समय से लम्बित सत्र मामलों तथा जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों के मामलों को देख रहे हैं। इस समय कारागारों में लगभग दो लाख विचाराधीन कैदी हैं तथा राज्य सरकारें उनकी देखरेख पर लगभग 400 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष खर्च करती हैं। इस समय, लोक अदालतें दोनों पक्षों के बीच हुए सुलह समझौते के आधार पर ही विवादों का निपटारा कर सकती है। यदि दोनों पक्षों के बीच कोई सुलह समझौता नहीं हो पाता है तो मामला या तो न्यायालय को लौटा दिया जाता है अथवा पक्षों को किसी भी अन्य न्यायालय में जाने की सलाह दी जाती है। इस कमी को दूर करने के लिए, इस अधिनियम में संशोधन करके स्थायी लोक अदालतें स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। ये अदालतें कुछ जनोपयोगी सेवाओं के मामलों का समाधान करने और उनका हल ढूंढने के लिए मुकदमे से पूर्व अनिवार्य तंत्र के रूप में कार्य करेंगी।

माननीय सदस्यगण, पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करके लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण करने का पहला दशक इस वर्ष पूरा हुआ है। दस वर्ष पहले इस सम्माननीय संसद ने संविधान के ऐतिहासिक 73वें और 74वें संशोधन पारित किए थे। देश के कई हिस्सों में लोकतंत्र की इन आधारभूत संस्थाओं की कार्यप्रणाली में सुधार हुआ है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें महिला प्रतिनिधियों और हमारे समाज के अन्य विपन्न वर्ग के प्रतिनिधियों की भागीदारी बढ़ी है। सकारात्मक कार्रवाई के कारण ऐसा संभव हुआ है। परन्तु, हमें ईमानदारी के साथ यह स्वीकार करना चाहिए कि अभी तक यह क्रांतिकारी पहल की भावना, वास्तव में पंचायती राज संस्थाओं को यथेष्ट प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों के हस्तांतरण के रूप में पूरी तरह से परिणत नहीं हो पायी है। मैं चाहूंगा कि राज्य सरकारें स्वयं संविधान के उद्देश्य तथा मूल वस्तु-स्थिति के बीच विद्यमान अंतर की आलोचनात्मक समीक्षा करें। केन्द्र सरकार ने अपनी ओर यह निर्णय लिया है कि तीन वर्ष के भीतर तीनों स्तरों पर पंचायत के तमाम निर्वाचित पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाए।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, भारत की जनसंख्या 1,027 मिलियन है। नब्बे के बाद के वर्षों के दौरान जन्म व मृत्यु दोनों दरों में पूर्वानुमान एवं नौवीं योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों से अपेक्षाकृत कम गिरावट आई है। वर्ष 1981-1991 के दशक में यह वृद्धि 23.9 प्रतिशत थी जो 1991-2001 के दशक में घटकर 21.3 प्रतिशत रह गई। यह आजादी के बाद की सबसे ज्यादा गिरावट है। अगले पंद्रह वर्षों के दौरान जनसंख्या में होने वाली वृद्धि में से आधी से अधिक वृद्धि उन आठ राज्यों में होगी जो क्रिटिकल सामाजिक जनसांख्यिकी सूचकों की दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं। सरकार ने विशिष्ट रूप से इन राज्यों की आवश्यकताओं और समस्याओं पर विचार करने के लिए एक अधिकार प्राप्त कार्य-दल का गठन किया है।

पिछले वर्ष भारत ने सबको प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। छः से चौदह वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए ऐतिहासिक संविधान (93वां संशोधन) विधेयक, 2001 पारित करने के लिए, मैं आप सभी की सराहना करता हूँ। प्रत्येक भारतीय बच्चे का यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि उसे केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि उत्तम शिक्षा भी मिले। तदनुसार, समूचे शिक्षा-क्षेत्र में गुणवत्ता-संस्कृति का परिवेश बनाने व उस पर जोर देने के लिए हमने 2002 को "उत्कृष्ट शिक्षा वर्ष" के रूप में मनाने का निर्णय लिया है।

जनगणना 2001 ने देश के अनेक भागों में कन्या भ्रण हत्या, शिशु हत्या और नवजात शिशु मृत्यु की घटनाओं को उजागर किया है। ये सभी घटनाएं बालिकाओं के प्रतिकूल हैं। सामाजिक जागरूकता

द्वारा और कानून का कड़ाई से पालन करके दोनों प्रकार से इस स्थिति पर काबू पाने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सारे देश में लिंग निर्धारण परीक्षणों पर पूर्ण रूप से रोक लग सके, प्रसव पूर्व निदान अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है।

कुछेक व छोटे-छोटे क्षेत्रों को छोड़कर, भारत पोलियो-रोग से मुक्त हो चुका है। आशा है कि इस वर्ष के अंत तक इन क्षेत्रों से पोलियो का उन्मूलन हो जाएगा। पोलियो के विरुद्ध इस अभियान की सफलता से सीख लेकर, सरकार ने तपेदिक और एचआईवी/एड्स जैसी अन्य भयानक बीमारियों के विरुद्ध जन-अभियानों को तेज कर दिया है। तम्बाकू-विरोधी अभियान को और बल दिया जाएगा।

समुचित स्वच्छता न होने से, हमारे अधिकांश लोगों के स्वास्थ्य और रहन-सहन पर प्रभाव पड़ता है। इसके कारण, हमारे शहरों और गांवों के बहुत से भाग गंदे और भेदे भी दिखाई पड़ते हैं। गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों की आवास समस्याओं में सुधार लाने के लिए पिछले वर्ष वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना आरंभ की गई। इस नई योजना के सह-अंग के रूप में, अधिक संख्या में सामुदायिक शौचालय परिसर बनाने के लिए सरकार शीघ्र ही "निर्मल भारत अभियान" नामक एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम प्रारम्भ करेगी। इनका रखरखाव स्वयं गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों के सामुदायिक संगठनों द्वारा किया जाएगा।

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, भारतीय वन्यजीव बोर्ड ने हाल में एक ऐतिहासिक वन्यजीव कार्य-योजना अपनाई है। वन्यजीव संरक्षण को राष्ट्रीय प्राथमिकता घोषित किया जाएगा। शीघ्र ही एक वन आयोग की स्थापना की जाएगी। राज्य सरकारों को पार्कों, चिड़ियाघरों की बेहतर देखरेख तथा अवैध रूप से वन्यजीवों का शिकार और उत्पादों के व्यापार को रोकने के लिए अपने स्टाफ को दक्ष और अन्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने में सहयोग दिया जाएगा।

कृषि कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा की प्रसुविधाएं मुहैया कराने के लिए, सरकार ने "कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना" शुरू की है। देश के पचास चुनिंदा जिलों में जीवन बीमा निगम द्वारा चलाई जा रही इस योजना में तीन वर्ष की अवधि के दौरान एक मिलियन कृषि कामगारों को शामिल किए जाने का विचार है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की गति बढ़ा दी है। स्वावलम्बी समूहों को धन उपलब्ध कराने के लिए माइक्रो-वित्तपोषण कार्यक्रम को ज्यादा ऋण उपलब्ध

कराया गया है। सफाईकर्मियों व उनके आश्रितों की मुक्ति व पुनर्वास की राष्ट्रीय स्कीम के तहत, कई राज्यों में सैनिटरी मार्ट्स ने कार्य करना शुरू कर दिया है।

जनजातीय मंत्रालय ने देश के सभी 1 लाख 14 हजार जनजातीय ग्रामों को शामिल करने के लिए खाद्यान भंडार स्कीम का विस्तार करने एवं उसमें संशोधन करने का निर्णय लिया है। सरकार, भंडारण एवं अन्य लागतों के साथ प्रति परिवार दो क्विंटल खाद्यानों की दर से, एकमुश्त अनुदान उपलब्ध कराएगी।

पिछले वर्ष अप्रैल में श्रीहरिकोटा से जिओ-सिन्क्रोनस सैटेलाइट लांच व्हीकल (जी एस एल वी) की सफल विकास उड़ान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण सफलता है। भारत इस प्रकार की क्षमता प्राप्त करने वाला विश्व में छठा राष्ट्र है। दो या तीन परीक्षण उड़ानों के बाद जी एस एल वी कार्य करना प्रारंभ कर देगा। विगत माह इनसैट-3 सी के सफल प्रक्षेपण के साथ ही दूरसंचार, दूरदर्शन प्रसारण और मौसम-विज्ञान की इनसैट प्रणाली को और बल मिला है।

भारत की विदेश नीति, सुरक्षा एवं विकास के दोनों ही क्षेत्रों में, हमारे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों के लिए एक विश्वसनीय संरक्षक और प्रभावी प्रवर्तक की भूमिका निभाती रही है। पिछले वर्ष, 11 सितम्बर और 13 दिसम्बर की घटनाओं के पश्चात् विश्व के समक्ष भारत का दृष्टिकोण रखने में हमारे विदेश नीति प्रतिष्ठानों को बहुत बड़े उत्तरदायित्व का निर्वहन करना पड़ा। इसके अतिरिक्त, विश्व के महत्वपूर्ण नेताओं की भारत यात्राओं के दौरान सरकार को क्षेत्रीय एवं विश्वव्यापी मुद्दों पर अपने पक्ष को प्रस्तुत करने के अवसर मिले हैं।

समीपवर्ती अफगानिस्तान हमारा सम्मानित मित्र है जिसके साथ हमारे प्राचीन काल से सांस्कृतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक संबंध रहे हैं। तालिबान द्वारा बामियान बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट कर दिए जाने पर पूरे सभ्य जगत के साथ हमें भी असीम व्यथा हुई। भारत को इस बात का हर्ष है कि अफगानिस्तान कट्टर एवं दमनकारी शासन के चंगुल से मुक्त हो गया है, जिसने उसकी भूमि को पूरे विश्व में फैले जेहादी आतंकवाद की जननी बना दिया था। 22 दिसम्बर, 2001 को काबुल में अफगान अंतरिम सरकार की स्थापना अफगानिस्तान के साथ-साथ, इस क्षेत्र में भी शांति एवं स्थिरता बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। युद्ध की त्रासदी से प्रभावित इस राष्ट्र के सामने मौजूद मानवीय एवं पुनर्निर्माण की आवश्यकताओं को पूरा कर पाना कितना कठिन कार्य है, यह हम भली-भांति समझते हैं, और हम उनको पूरा करने के लिए अफगानी बंधुओं की सहायता हेतु कृत संकल्प हैं। हमें शीघ्र ही, अफगान अंतरिम प्रशासन के अध्यक्ष हमीद करज़ई, का भारत में स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त होगा।

भारत व नेपाल के संबंध पहले के समान घनिष्ठ एवं मित्रवत हैं। हाल के महीनों में, नेपाल को अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करना पड़ा है—पहले शाही परिवार में हुई दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी और फिर माओवादी विद्रोहियों द्वारा जारी नृशंस हत्याएं। सामान्य स्थिति बहाल करने और शांति व स्थिरता बनाए रखने के लिए नेपाल की सरकार एवं जनता के प्रयासों के लिए हमने सहानुभूति व सहयोग का हाथ बढ़ाया है।

भूटान के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण, परस्पर विश्वास और हितकर सहयोग के घनिष्ठ संबंध निरंतर बने हुए हैं।

भारत बांग्लादेश के साथ सभी क्षेत्रों में मैत्रीपूर्ण संबंध मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु, दोनों देशों के बीच आवागमन को और सुगम बनाने और लोगों के मध्य आपसी संपर्क बढ़ाने के लिए एक नई वीजा प्रणाली लागू की जा चुकी है। बांग्लादेश के साथ विविध प्रकार के अनेक क्षेत्रों में परस्पर आर्थिक संपर्क बढ़े हैं। इनमें सेवाएं, आधुनिक संरचना के विकास के लिए संयुक्त प्रयास, परिवहन सेवाएं, और नदी-जल बंटवारा शामिल हैं।

जातीय हिंसा को समाप्त करने और स्थाई शांति के लिए श्रीलंका में किए गए हाल के प्रयासों से हम संतुष्ट हैं। श्रीलंका की संप्रभुता एवं प्रादेशिक अखंडता के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और इस आधार पर शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए किए जाने वाले उपायों का समर्थन करते हैं।

यह संतोष का विषय है कि सार्क प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ किया गया है, जिसे अगस्त, 2001 में कोलम्बो में हुई विदेश सचिवों की बैठक तथा जनवरी की शुरुआत में काठमांडू में हुए राज्याध्यक्षों व सरकार के प्रमुखों के ग्यारहवें शिखर-सम्मेलन से बल मिला। क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को गहन व व्यापक बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारत दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र के लक्ष्य के संबंध में उत्तरोत्तर टैरिफ उदारीकरण के लिए प्रतिबद्ध है।

भारत म्यांमार के साथ सृजनात्मक और सकारात्मक संबंधों की नीति का अनुसरण करता आ रहा है। मान्डले में हमारा वाणिज्य दूतावास और कोलकाता में म्यांमार का वाणिज्य दूतावास शीघ्र ही पुनः खोल दिए जाएंगे।

भारत व रूस के बीच चिरकालिक मित्रता एवं सामरिक साझेदारी पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय व अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर नियमित राजनीतिक विचार-विमर्श से और भी सुदृढ़ हुई है। आर्थिक सहायोग और विविध प्रतिरक्षा सहयोग द्वारा इन्हें और प्रगाढ़ बनाया जा रहा है। पिछले वर्ष

नवम्बर में प्रधानमंत्री की रूस यात्रा के समय कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए।

चीन के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध विविध क्षेत्रों में निरंतर बढ़ रहे हैं। चीन के प्रधानमंत्री श्री झू रोंगजी की हाल की यात्रा इसी प्रक्रिया को और आगे बढ़ाती है। आपसी विश्वास व समझ बनाने के प्रयास जारी हैं। जापान के साथ हमारी ग्लोबल सहभागिता, हमारे आर्थिक सहयोग व स्ट्रेटेजिक कनवरजेंस—दो मुख्य स्तंभों के आधार पर सुदृढ़ हो रही है। दिसम्बर, 2001 में प्रधानमंत्री का जापान यात्रा के दौरान जारी किया गया संयुक्त घोषणापत्र महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुद्दों तथा सार्वभौमिक चुनौतियों से संबद्ध दोनों देशों के एक समान परिप्रेक्ष्य को निर्दिष्ट करता है।

हाल के वर्षों में दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों तथा आसियान के साथ हमारे संबंध बढ़ रहे हैं। इनसे आपसी सहभागिता की संभावनाओं में और इजाफा हुआ है। इस वर्ष के अंत में कंबोडिया में होने वाला प्रथम भारत-आसियान सम्मेलन इस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण घटना होगी।

भारत मध्य-पूर्व में लगातार बढ़ती हिंसा से चिंतित है। इससे शांति प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हुई है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय की इस धारणा को भी और बल मिला है कि अपनी-अपनी सुरक्षित तथा मान्य सीमाओं के अंदर इजराइल के निकट, वायेबल फिलीस्तीन राज्य के बिना स्थायी शांति कायम नहीं हो सकती। हम फिलीस्तीनी बंधुओं को सभी संभव सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हैं।

यूरोप के साथ राजनीतिक वार्ता, जर्मन चांसलर श्रोडर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर तथा नौर्वे के प्रधानमंत्री जेंस स्टोल्टेनबर्ग की भारत यात्राओं के दौरान सर्वोच्च स्तर पर आगे बढ़ी है। दिसम्बर, 2001 में नई दिल्ली में संपन्न हुआ भारत-यूरोपियन शिखर सम्मेलन हमारे तथा यूरोपियन यूनियन के संबंधों में एक और उपलब्धि रहा। शिखर स्तर पर पारस्परिक संपर्क को संस्थागत रूप देते समय, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच समान हितों को स्वीकार किया गया है, ताकि 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना किया जा सके। हम पूर्वी तथा मध्य यूरोप के देशों के साथ मित्रता व सहायोग के अपने संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए वचनबद्ध हैं।

अमरीका के साथ हमारे संबंध निरंतर और मजबूत हो रहे हैं। हाल ही में, प्रधानमंत्री तथा उनके बाद मंत्रिमंडल के अन्य वरिष्ठ मंत्रियों ने वहां की सफल यात्राएं की। सरकार, लाभप्रद द्विपक्षीय संबंध कायम करने तथा एशिया और अन्य क्षेत्रों में कई समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अमरीका के साथ व्यापक रिश्ते बनाने की नीति को जारी रखेगी। 11 सितम्बर व 13 दिसम्बर के उग्रवादी हमलों के बाद लोकतंत्र,

स्वतंत्रता व बहुलवाद के अपने समान मूल्यों की, आतंकवादी ताकतों से सुरक्षा के प्रयास में, दोनों देश और निकट आ गए हैं। हम सुरक्षा संबंधी मामलों पर पारस्परिक संबंध और अधिक सुदृढ़ करने तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति व स्थायित्व बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे।

अफ्रीका का हमारे राजनयिक संबंधों में विशेष स्थान है। इस महत्वपूर्ण महाद्वीप के साथ हमारे संबंधों की राजनीतिक बुनियाद बहुत मजबूत है जो उपनिवेशवाद को समाप्त करने तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलनों को हमारे सैद्धांतिक सहयोग और रंगभेद के प्रति हमारे कड़े विरोध पर आधारित है। नए एवं उभरते हुए अवसरों को ध्यान में रखते हुए, इस ऐतिहासिक संबंध में और अधिक आर्थिक पहलुओं को शामिल कर लेना ही आज के समय की चुनौती है। अफ्रीका के साथ हमारे संबंधों की मुख्य विशेषता सतत् उच्च स्तरीय द्विपक्षीय संपर्क हैं। मैं पिछले वर्ष मार्च में मुख्य अतिथि के रूप में मारीशस के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर वहां गया। अन्य द्विपक्षीय संपर्कों को अंजाम दिया जा चुका है और कुछ अन्य की योजना है।

मध्य और दक्षिण अमरीकी देशों के साथ हमारे राजनीतिक व आर्थिक संबंध लगातार बढ़ रहे हैं।

भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों के विषय में सितम्बर, 2000 में गठित उच्चस्तरीय समिति ने 8 जनवरी, 2002 को प्रधानमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपी। सरकार ने समिति की इस सिफारिश को मान लिया है कि हर वर्ष 9 जनवरी को "प्रवासी भारतीय दिवस" मनाया जाए। वर्ष 1915 में, इसी दिन महात्मा गांधी, लगभग दो दशकों तक दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीय के रूप में रहने के बाद, भारत लौटे थे। अगले वर्ष से प्रवासी भारतीय दिवस पर प्रमुख अनिवासी भारतीयों तथा भारतीय मूल के व्यक्तियों को दस प्रवासी भारतीय सम्मान दिए जाएंगे। सरकार चाहती है कि भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए पी आई ओ कार्ड योजना पुनः तैयार की जाए तथा कार्ड का शुल्क कम कर दिया जाए।

माननीय सदस्यगण, आज बजट सत्र प्रारंभ हो रहा है। इस सत्र में रेलवे तथा आम बजट से संबंधित वित्तीय एजेंडा के साथ-साथ बड़ी मात्रा में विधायी कार्य भी पूरा किया जाना है। इस समय लोक सभा में 36 और राज्य सभा में 40 विधेयक लंबित हैं। चार अध्यादेशों के स्थान पर विधेयक लाए जाने हैं। हम जानते हैं कि संसद के कामकाज और विशेषतौर पर बजट सत्र के दौरान किये जाने वाले काम को हमारी जनता, जिनकी आशाओं और आकांक्षाओं को आप प्रतिनिधित्व करते हैं, उत्सुकता से देखेगी। वह विशेषतौर पर यह देखना चाहेगी कि भारतीय संसद के अमूल्य समय का सदुपयोग सभी नियत कार्यों को संपन्न करने में लगे।

मैं आपके प्रयासों की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।

जयहिन्द।

अपराह्न 1.26 बजे

[अनुवाद]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, आज हम लगभग दो माह के अंतराल के बाद मिल रहे हैं, मुझे बड़े दुख के साथ सभा को अपने आठ भूतपूर्व सहयोगियों श्री उत्तमराव लक्ष्मणराव पाटील, श्री एस०डी० सोमसुन्दरम, श्री भोला मांझी, श्रीमती सुशीला गोपालन, श्री के०टी०के० तंगामणि, श्रीमती प्रमिला दंडवते, श्री भागु नन्दु मालवीय और श्री शिव प्रसाद साहू के निधन की सूचना देनी है।

श्री उत्तमराव लक्ष्मणराव पाटील 1957 से 1962 तथा 1989 से 1991 तक क्रमशः दूसरी और नौवीं लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने तत्कालीन बम्बई राज्य के धुलिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और महाराष्ट्र के इरन्दोल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री पाटील एक सक्रिय सांसद थे। वह 1990 में गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति तथा कृषि मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य रहे।

श्री पाटील 1954-55 में तथा 1966 से 1978 तक महाराष्ट्र विधान परिषद और 1978 से 1980 तक महाराष्ट्र विधान सभा के सदस्य भी रहे। वह 1966 से 1978 तक महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता रहे। वह महाराष्ट्र विधान परिषद में 1966 से 1972 तक अधीनस्थ विधान संबंधी समिति और 1973 से 1977 तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य रहे।

एक कुशल प्रशासक श्री पाटील ने 1978 से 1980 तक राज्य सरकार में राजस्व मंत्री के रूप में कार्य किया।

श्री पाटील व्यवसाय से एक अधिवक्ता थे। वह एक सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता भी थे। उन्होंने समाज के कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए अनवरत कार्य किया तथा बाढ़ और सूखा राहत कार्यों में गहन रूचि ली।

श्री पाटील ने दो पुस्तकें लिखीं। वह "सुदर्शन" साप्ताहिक पत्रिका के संस्थापक सम्पादक भी थे।

अनेक देशों की यात्रा कर चुके श्री पाटील 1966 में युगांडा में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन के शिष्टमंडल के सदस्य भी थे।

श्री उत्तमराव लक्ष्मणराव पाटील का निधन 18 नवम्बर, 2001 को मुम्बई, महाराष्ट्र में 81 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री एस०डी० सोमसुन्दरम 1967 से 1978 तक चौथी, पांचवी और छठी लोक सभा के सदस्य रहे तथा उन्होंने तमिलनाडु के तंजावूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री सोमसुन्दरम एक सुयोग्य सांसद थे और उन्होंने 1971-72 के दौरान संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों संबंधी संयुक्त समिति, 1973-74 के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति, 1977 में आवास समिति और 1977-78 के दौरान सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया।

श्री सोमसुन्दरम 1978 से 1980 तक तमिलनाडु विधान परिषद के सदस्य और 1980 से 1984 और 1991 से 1996 तक विधान सभा के सदस्य भी रहे।

श्री सोमसुन्दरम एक अनुभवी राजनीतिज्ञ और सुयोग्य प्रशासक थे और उन्होंने राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया।

कृषक परिवार से सम्बद्ध श्री सोमसुन्दरम एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थे। वह विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े रहे। श्री सोमसुन्दरम की खेलकूदों में गहन रुचि थी। साहित्य में रुचि रखने वाले श्री सोमसुन्दरम एक तमिल दैनिक "सामा नीति" के सम्पादक थे।

श्री एस०डी० सोमसुन्दरम का निधन कुछ समय बीमार रहने के बाद 71 वर्ष की आयु में चेन्नई, तमिलनाडु में 6 दिसम्बर, 2001 को हुआ।

श्री भोला मांझी पांचवी लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने 1971 से 1977 तक बिहार के जमुई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इससे पूर्व 1957 से 1961 तक वह बिहार विधान सभा के सदस्य भी रहे। कृषक परिवार से सम्बद्ध श्री मांझी पेशे से अध्यापक थे। श्री मांझी "गुरुजी" के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने अपने गृह राज्य में विभिन्न विद्यालयों में कार्य किया और शिक्षा के प्रसार में विशेष रुचि ली।

श्री मांझी एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने 1955 में "खेत मजदूर यूनियन" का गठन किया और 'बिहार खेत मजदूर सभा' के उपाध्यक्ष तथा 'मुंगेर जिला खेत मजदूर सभा' के सचिव के रूप में कार्य किया। उन्होंने कृषि कामगारों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने कृषकों के हितों के लिए निष्ठापूर्वक कार्य किया।

श्री भोला मांझी का निधन 80 वर्ष की आयु में खेरमा, जमुई, बिहार में 18 दिसम्बर, 2001 को हुआ।

श्रीमती सुशीला गोपालन 1967 से 1970, 1980 से 1984 और 1991 से 1996 तक क्रमशः चौथी, सातवीं और दसवीं लोक सभा

की सदस्य रहीं और इस दौरान उन्होंने केरल के अम्बालापूजा, अलेपी और चिरायिकिल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया।

एक उत्कृष्ट संसदविद् श्रीमती गोपालन 1981-82 के दौरान दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के कार्यान्वयन के प्रश्न पर जांच हेतु गठित दोनों सभाओं की संयुक्त समिति की सदस्या थी और उन्होंने दहेज विरोधी कानून को अधिनियमित करवाने में अग्रणी भूमिका निभाई। 1993 से 1995 तक वह उद्योग संबंधी समिति और 1994-95 के दौरान आवास समिति की सदस्या भी रहीं। उन्होंने 1980 से 1984 के दौरान केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की जनरल बाडी की सदस्या के रूप में तथा 1984 में और 1991 से 1995 के दौरान कॉयर बोर्ड की सदस्या के रूप में कार्य किया।

श्रीमती गोपालन 1965 और 1996 में केरल विधान सभा की सदस्य चुनी गईं। उन्होंने राज्य सरकार में उद्योग तथा समाज कल्याण मंत्री के रूप में कुशलता पूर्वक कार्य किया।

श्रीमती गोपालन एक समर्पित राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता थीं। उन्होंने 1947 में त्रावणकोर के तत्कालीन दीवान के विरुद्ध छत्र आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया।

एक विख्यात श्रमिक संघ नेता श्रीमती गोपालन विभिन्न सामाजिक संगठनों तथा श्रमिक संघों से सम्बद्ध रहीं तथा उन्होंने विभिन्न श्रमिक संघों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। उन्होंने कर्मचारों विशेषकर कामकाजी महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया।

साहित्य में विशेष रुचि रखने वाली श्रीमती गोपालन ने "द गोल्डन फ्लावर" नामक पुस्तक का अंग्रेजी से मलयालम में अनुवाद किया।

श्रीमती सुशीला गोपालन का निधन कुछ समय बीमार रहने के बाद 72 वर्ष की आयु में तिरुअनंतपुरमर, केरल में 19 दिसम्बर, 2001 को हुआ।

श्री के०टी०के० तंगामणि 1957 से 1962 तक दूसरी लोक सभा के सदस्य रहे। उन्होंने भूतपूर्व मद्रास राज्य के मद्रुरै संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। योग्य सांसद श्री तंगामणि ने 1960 से 1962 तक कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। वह एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी पेशे से वकील श्री तंगामणि एक सक्रिय सामाजिक एवं राजनैतिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने मद्रास राज्य के कर्मचारी भविष्यनिधि की क्षेत्रीय समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया।

श्री तंगामणि ने सार्वजनिक जीवन में एक मजदूर संघ के नेता के रूप में ख्याति प्राप्त की। उन्होंने श्रमिकों के लिए मजदूर संघ

© 2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।
